

बाल अधिकार

(बच्चों को समर्पित)



बिहार दलित विकास समिति

रुकनपुरा, पटना-800014



बाल अधिकार

(बच्चों को समर्पित)

प्रशिक्षण सन्दर्शिका

संकलन एवं सम्पादन

बिहार दलित विकास समिति, पटना
नवम्बर, 2023

मुद्रण :

S.P. Printers, Biscoman Bhawan, Gandhi Maidan, Patna-1

प्रस्तावना

बचपन अनमोल है, इसको सहेजना, संवारना हम सबों का कर्तव्य है। कहा भी गया है कि 'फूल न पूरा खिल पाये तो बोझ लता पर होता है, बच्चों को क्यों बोझ समझकर यह सारा जग रोता है।' आज भी हमारे समाज में ऐसा देखा गया है कि बहुतेरे लोग अज्ञानता के कारण अपने बच्चों के प्रति लापरवाह बने रहते हैं। शायद उन्हें यह भी नहीं मालूम कि भारतीय संविधान ने बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अधिकार प्रदान किया है।

बिहार दलित विकास समिति पिछले 40 वर्षों से बिहार के कई जिलों में दलित बच्चे, युवा और महिलाओं के बीच शक्तीकरण का कार्य करते आ रही है। 'बाल अधिकार' पुस्तक का प्रकाशन खासकर बच्चों को केन्द्र में रख कर किया गया है, ताकि बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावक, उत्प्रेरक, मार्गदर्शक, सामाजिक चिंतक और प्रबुद्धजन उनके अधिकार एवं भावनाओं को समझते हुए उनके विकास में अहम भूमिका अदा कर सकें।

बिहार सरकार द्वारा बालहित संरक्षण हेतु पंचायत, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया गया है जिसे बाल संरक्षण समिति कहते हैं। निःसंदेह बिहार सरकार के द्वारा बाल संरक्षण के प्रति उठाया गया यह एक सार्थक कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं। दुःख की बात यह है कि हमारे बच्चे, उनके अभिभावक, ग्रामीण एवं बहुत सारे लोग इस समिति की संरचना, गठन की प्रक्रिया एवं इसके कार्यों से अवगत नहीं हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य इन समितियों के संरचना, गठन एवं कार्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना भी है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग हेतु हम उन तमाम सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके रचनात्मक एवं सार्थक सहयोग के कारण यह संभव हो पाया है।

सधन्यवाद !

निदेशक

बिहार दलित विकास समिति,

प्रशासनिक कार्यालय, पटना

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ० सं०
1.	बाल अधिकार क्या है	03
2.	सुरक्षा का अधिकार	08
3.	बाल विवाह	12
4.	बाल मजदूरी	16
5.	कन्या भ्रूण हत्या	21
6.	बाल यौन शोषण	24
7.	निःशक्त बच्चे	32
8.	जातीय भेदभाव	35
9.	बिहार राज्य स्तरीय बाल संरक्षण तंत्रः	37

1. बाल अधिकार क्या है ?

बच्चा कौन है?

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को “बच्चा” माना जाता है। यह बच्चे की वैश्विक रूप से स्वीकार्य परिभाषा है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) में आम सहमति से घोषित की गई है। व्यक्ति की उम्र से ही यह निर्धारित होता है कि वह एक बच्चा है या नहीं, यदि 18 वर्ष की उम्र से कम के किसी व्यक्ति (बालक या बालिका) का विवाह हो चुका हो और उसके खुद के बच्चे भी हों, तो भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर वह एक “बच्चा” ही कहा जाएगा।

हालांकि, हमारे देश में कई अन्य अधिनियम भी हैं जो बच्चों को भिन्न-भिन्न प्रकार से (भिन्न आयु वर्ग) परिभाषित करते हैं। परन्तु उनमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते के अनुसार समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य बातें :

- 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक या बालिका बच्चा है।
- बचपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर इंसान गुजरता है।
- बचपन में हर बच्चे के अनुभव अलग-अलग होते हैं।
- सभी बच्चों को दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा मिलनी चाहिए।

बच्चों पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए?

- किसी भी परिस्थिति में वयस्कों के मुकाबले बच्चों के लिए ज्यादा खतरे होते हैं।
- लिहाजा, सरकार और समाज की सक्रियता और निष्क्रियता से उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है।
- ज्यादातर समाज में यही माना जाता है कि बच्चे अपने माँ-बाप की संपत्ति हैं या वे वयस्क बनने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए अभी समाज में योगदान देने के काबिल नहीं हुए हैं।
- बच्चों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। न ही वे कोई राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। उनके पास आर्थिक ताकत भी नहीं होती। उनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है।
- शोषण और दुर्व्यवहार का खतरा खासतौर से बच्चों पर ज्यादा होता है।
- बच्चों के अधिकार मानवाधिकार है।

भारतीय संविधान-

भारतीय संविधान सभी बच्चों को कुछ खास अधिकार प्रदान करता है। ये खासतौर से उनको ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- 6-14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। (अनुच्छेद 21 ए)
- 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को किसी भी खतरनाक रोजगार/काम से सुरक्षा का अधिकार है। (अनुच्छेद 24)
- उन्हें दुर्व्यवहार से बचने और गरीबी के कारण अपनी ताकत से ज्यादा बड़े काम करने की मजबूरी से बचने का अधिकार है। (अनुच्छेद 39 ई)
- बच्चों को सही ढंग से पालन-पोषण और आजादी व सम्मान के साथ बराबर अवसर व सुविधाएं पाने का अधिकार है। संविधान में बचपन और युवावस्था को शोषण तथा नैतिक व भौतिक लाचारी/बेसहारेपन से सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया है। (अनुच्छेद 39एफ)

इनके अलावा बच्चों को वे सारे अधिकार भी मिलते हैं जो भारत का नागरिक होने के नाते किसी भी बालिग स्त्री-पुरुष को दिए गए हैं-

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 15)
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता व कानूनी प्रक्रिया का अधिकार (अनुच्छेद 21)
- बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर न किए जाने और मानव व्यापार से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 23)
- समाज के कमजोर तबकों को सामाजिक अन्याय और किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 46)

सरकार की जिम्मेदारी है कि वह-

- बच्चों व औरतों के लिए विशेष प्रावधान करे। (अनुच्छेद 13(3))
- अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। (अनुच्छेद 29)

- समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक हितों को बढ़ावा दे। (अनुच्छेद 46)
- लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर में सुधार लाए तथा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखे। (अनुच्छेद 47)

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन-

बच्चों के बारे में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। आम बोलचाल में इसे सीआरसी या यूएनसीआरसी कहा जाता है। भारतीय संविधान और हमारे कानूनों के साथ-साथ यह समझौता भी बच्चों के अधिकारों को तय करता है।

जो अधिकार हर उम्र, हर वर्ग, हर नस्ल के लोगों को मिलते हैं उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है यह जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों को भी ये अधिकार मिलते हैं लेकिन बच्चों को कुछ खास तरह के अधिकार भी दिये गये हैं। ये अधिकार उन्हें इसलिए मिले हैं क्योंकि बच्चों को हमेशा ज्यादा सुरक्षा और देख-रेख की जरूरत होती है। इन अधिकारों को बाल अधिकार या बच्चों के अधिकार कहा जाता है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) में लिखा गया है। बाल अधिकार समझौते के कुछ खास पहलू इस प्रकार हैं:-

- यह समझौता 18 वर्ष की उम्र तक के बालक और बालिकाओं, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र में ही किसी का विवाह हो चुका है और उसके बच्चे भी हैं, तो भी उसे बच्चा ही माना जाएगा।
- इस कन्वेंशन में परिवार को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस कन्वेंशन में एक ऐसा माहौल पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया गया है जो बच्चों के सही विकास और वृद्धि के लिए अच्छा हो।
- यह कन्वेंशन सरकार को इस बात की जिम्मेदारी देता है कि वह बच्चों को हर तरह के भेदभाव से मुक्त रखे और उन्हें बराबरी की हैसियत दिलाए।
- नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में यह कन्वेंशन बच्चों के इन चार अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करता है :-
- जीने का अधिकार
- सुरक्षा
- विकास
- सहभागिता।

जीने के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल है -

- जीवन का अधिकार
- बेहतरीन स्वास्थ्य का अधिकार
- पोषण का अधिकार
- सही जीवन स्तर का अधिकार
- एक नाम और एक राष्ट्रियता का अधिकार

विकास के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं-

- विकास का अधिकार
- बचपन में देखभाल और सहायता का अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- आमोद-प्रमोद, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार।

सुरक्षा के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार आते हैं-

- शोषण से मुक्ति का अधिकार, उत्पीड़न से मुक्ति का अधिकार
- अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति का अधिकार
- उपेक्षा से मुक्ति अधिकार
- आपातकालीन या निःशक्तता आदि विशेष परिस्थिति में विशेष सुरक्षा का अधिकार।

सहभागिता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं-

- बच्चे की सोच का सम्मान करना ।
- उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना।
- उसे सही सूचनाएं देना।
- वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।

ये सभी अधिकार एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों को दो हिस्सों में बांट कर भी देखा जाता है-

तात्कालिक अधिकार (नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार) ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनको तुरंत अमल में लाना जरूरी होता है। इनमें भेदभाव, सजा, मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई, बच्चों के लिए अलग न्याय व्यवस्था का अधिकार, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार और दोबारा परिवार के साथ रहने के अधिकार शामिल हैं।

प्रगतिशील अधिकार (आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार) जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा ऐसे अधिकार भी शामिल हैं जो तात्कालिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते।

“सुरक्षा संबंधी अधिकतर अधिकार तात्कालिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इन अधिकारों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए”।

इन्हें यूएनसीआरसी के अनुच्छेद 4 में मान्यता दी गई है। इस धारा में कहा गया है कि-

“आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के सिलसिले में सरकारों को अपने संसाधनों और आवश्यकता के अनुसार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की समझ को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी आवश्यक उपाय करने होंगे। ”

इस पुस्तिका में हम बच्चों की सुरक्षा, अधिकार और इस सिलसिले में बाल संरक्षण समिति की भूमिका पर चर्चा करेंगे। संविधान के अलावा भी कई ऐसे कानून हैं जो खासतौर से बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं।



2. सुरक्षा का अधिकार

सुरक्षा का अधिकार का मतलब है कि सभी बच्चे सभी प्रकार के :

- शोषण
- दुर्व्यवहार
- अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार और
- उपेक्षा से पूरी तरह सुरक्षित हों।

सुरक्षा की जरूरत सभी बच्चों को होती है। फिर भी, अपनी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ बच्चों की स्थिति दूसरों से ज्यादा संवेदनशील होती है। अतः इस प्रकार के बच्चों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए :-

- बेघर बच्चे (फुटपाथ पर रहने वाले, विस्थापित/उजाड़े गए बच्चे, शरणार्थी इत्यादि)
- प्रवासी बच्चे
- सड़कों पर रहने वाले बच्चे
- अनाथ या छोड़ दिए गए बच्चे
- कामकाजी बच्चे
- सेक्स वर्कर के बच्चे
- बाल सेक्स वर्कर
- खरीदे-बेचे गए बच्चे
- हिंसक हालात में फंसे बच्चे
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चे
- एचआईवी/एड्स के शिकार बच्चे
- लाइलाज बीमारियों से पीड़ित बच्चे
- निःशक्त बच्चे
- गुमशुदा बच्चे

- भीख मांगने वाले बच्चे
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चे

“इन सभी श्रेणियों में बच्चियाँ और भी ज्यादा खतरे में होती हैं।”

बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण के बारे में प्रचलित कुछ गलतफहमियाँ इस प्रकार हैं-

1. बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शोषण नहीं होता। हर समाज अपने बच्चों को प्यार करता है।

जी हाँ, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। लेकिन इस कथन में कुछ खामियाँ भी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5-14 आयु वर्ष के लगभग 1 करोड़ बाल मजदूर हैं। यौन शोषण के शिकार बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। 0 - 6 साल की उम्र के बच्चों में लड़का-लड़की अनुपात हमारे देश में बेहद खराब है। इससे पता चलता है कि लड़कियों की जिंदगी अक्सर दांव पर लगी रहती है। कई बार तो लड़की होने कारण नवजात शिशु को ही गोद देने के नाम पर बेच दिया जाता है या मार डाला जाता है।

2. सबसे सुरक्षित स्थान तो घर ही है।

बच्चे अपने घरों में जिस हद तक दुर्व्यवहार झेलते हैं उससे यह मान्यता गलत साबित हो जाती है। कुछ लोग बच्चों को उनके मां-बाप की निजी संपत्ति माना जाता है जिनका वे किसी भी तरह उपयोग (या दुरुपयोग) कर सकते हैं।

यौन शोषण से संबंधित अध्ययनों को देखने पर पता चलता है कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार या जोर-जबरदस्ती परिवार के भीतर ही होती है और तो और, पिता के हाथों बेटियों के बलात्कार के भी प्रकरण देखने में आता है। पैदा होते ही लड़कियों को मार देना, या पैदा न (भ्रूण हत्या) होने देना, अंधविश्वास के कारण बच्चों की बलि चढ़ाना, ‘जोगिनी’ या ‘देवदासी’ जैसे रीति-रिवाजों और परंपराओं के नाम पर लड़कियों को देवताओं को अर्पित कर देना – ये सारी प्रथाएं घर में होने वाली हिंसा के ही कुछ रूप हैं। कम उम्र में ही बच्चों का विवाह कर देना उनके प्रति प्रेम की निशानी हो ही नहीं सकती। यह तो अपने बच्चे के पालन-पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी किसी और के सिर मढ़ देने का बहाना है भले ही इससे बच्चे की सेहत और मनः स्थिति पर विपरीत असर पड़े।

इन दर्दनाक स्थितियों के अलावा छोटे पैमाने पर भी बच्चे तरह-तरह से हिंसा के शिकार बनते हैं। क्या इस बात को झुठलाया जा सकता है कि लगभग हर घर में बच्चों के साथ मारपीट या उपेक्षा

एक सामान्य बात बनी हुई है?

3. लड़कों के बारे में फिक्र क्या करना? उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है।

ध्यान रखें कि कम उम्र के लड़के भी शारीरिक एवं मानसिक शोषण के उतने ही खतरों में रहते हैं जितने खतरे में लड़कियां रहती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में अपनी कमजोर हैसियत के कारण लड़कियों की स्थिति ज्यादा संवेदनशील होती है लेकिन लड़कों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। स्कूल में और घर पर लड़कों को पीटा जाता है, बहुत सारे लड़कों को मजदूरी के लिए भेजा जाता है। यहाँ तक कि बेच दिया जाता है। बहुत सारे लड़के यौन शोषण का भी शिकार बनते हैं।

हमारे गाँव/नगर में तो ऐसा नहीं होता।

सब यही मानते हैं कि “ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ नहीं होती और कहीं होती होंगी”। हमारे घर, हमारे गाँव या हमारे समुदाय में ऐसा नहीं होता। ये घटनाएं हमारे बच्चों पर नहीं, “दूसरों” के बच्चों पर असर डालती हैं। सत्य यह है कि उत्पीड़न का शिकार बच्चा इनमें से कहीं का भी हो सकता है और उसे हमेशा सहायता व सहारे की जरूरत होती है। आइए उत्पीड़न के कुछ सामान्य स्वरूपों को देखें और समझें कि बच्चों की सुरक्षा के लिए समिति के सदस्य के रूप में आप क्या कर सकते हैं।

बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण या सुदृढ़ीकरण के कुछ मुख्य तत्व हैं-

- सरकारी प्रतिबद्धता और क्षमता
- कानून और उसको लागू करना
- संस्कृति और रीति-रिवाज
- खुली चर्चा
- बच्चों की निपुणता, ज्ञान और भागीदारी बढ़ाना ?
- परिवारों और समुदायों का क्षमतावर्धन
- मूलभूत सेवाएँ
- निगरानी एवं रिपोर्टिंग

बाल संरक्षण के मुद्दे पर आप क्या कर सकते हैं ?

- बच्चों के अधिकारों को मानवाधिकार समझें और इसके लिए दूसरों को भी जागरूक करें।
- बाल अधिकार के मुद्दों पर अपनी आम बैठकों (वार्ड/ग्राम सभा) में नियमित चर्चा कराएँ।
- यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा के साथ-साथ पंचायत/नगरीय निकाय की सभी बैठकों में बाल संरक्षण का विषय एक प्रमुख मुद्दे के रूप में बैठक के एजेंडे में शामिल हो।
- खोये हुए को बाल संरक्षण समिति एवं बाल कल्याण समिति या पुलिस और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएँ।
- उन परिवारों और बच्चों को चिन्हित करें जिन्हें सरकार द्वारा संचालित किसी योजना का लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता हो। ऐसे परिवारों और बच्चों की सूची जिले की बाल संरक्षण समिति को दें?
- अगर आप अपने गाँव/नगर में बच्चों को सुरक्षा देना चाहते हैं तो आपको निम्नांकित सभी लोगों के साथ संपर्क में रहना चाहिए –
 - बाल कल्याण समिति।
 - राज्य एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति।
 - स्थानीय शासकीय विभागों के अधिकारी
 - चाइल्ड लाईन।
 - विशेष किशोर पुलिस इकाई।
 - पंचायत /स्थानीय निकाय।
 - शिक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/टोला सवेक, आदि।



3. बाल विवाह

हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा बड़े पैमाने पर रही है। आज भी यह देश के बहुत सारे हिस्से में प्रचलित है। हैरानी की बात है कि 21वीं सदी में भी यह प्रथा इतने बड़े पैमाने पर मौजूद है। इस तरह की परम्पराएं स्थानीय समाज के रीति-रिवाज, मान्यताओं और सोच से पैदा हुई हैं। रीति-रिवाज के नाम पर और आगे चल कर ज्यादा दहेज से बचने के लिए छोटे-छोटे लड़के-लड़कियों की शादी कर दी जाती है। कई मामलों में कम उम्र की लड़कियों का विवाह अर्धे उम्र के पुरुषों से करा दिया जाता है और कहीं-कहीं इन्हें वेश्यावृत्ति की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया जाता है।

बाल विवाह बाल अधिकारों के खिलाफ क्यों है?

- कम उम्र में विवाह से बच्चों का बचपन नष्ट हो जाता है।
- बाल विवाह के कारण बच्चे, खासतौर से लड़कियाँ पढ़ाई-लिखाई से वंचित रह जाती हैं।
- बाल विवाह से बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
- शारीरिक रूप से अपरिपक्व लड़कियाँ अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो उनकी सेहत और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है।
- बाल विवाह का अर्थ है बच्चे के साथ बलात्कार क्योंकि तब तक बच्चे ऐसे गंभीर फैसले लेने की उम्र में नहीं होते हैं।
- बाल वधुएँ अक्सर कम उम्र में ही विधवा हो जाती हैं और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन पर आ जाती है।
- कम उम्र में गर्भावस्था के कारण गर्भपात की आशंका भी अधिक होती है तथा किशोरी माँ के बच्चे जन्म के समय अक्सर कम वजन के होते हैं तथा एक वर्ष पूर्ण करने के पहले बच्चे के मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। किशोरी माँ का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है।
- लड़कियों की तरह कम उम्र में लड़कों की शादी भी उनके अधिकारों का उल्लंघन है। इससे फैसले करने का उनका अधिकार छिन जाता है और उनकी उम्र और क्षमता से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर आ जाती हैं।

भ्रांतियाँ	सच क्या है ?
<p>बाल विवाह हमारी संस्कृति का हिस्सा है।</p>	<p>संस्कृति के नाम पर किसी भी गलत या हानिकारक परंपरा को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर बाल विवाह हमारी संस्कृति है तो दासता, जातिवाद, दहेज, सती आदि प्रथाओं को आप क्या कहेंगे? ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब इन प्रथाओं को रोकने के लिए बाकायदा कानून बन चुके हैं। जब भी समाज के भीतर से आवाज उठी है, इस तरह के कानून बनाए गए हैं।</p> <p>संस्कृति स्थिर नहीं रहती। न ही पूरे भारत की संस्कृति एक समान है। अलग-अलग समुदायों की अलग-अलग संस्कृतियाँ होती हैं, भले ही वे पास-पास ही क्यों न रहते हों। भारत में बहुत सारे जातीय, भाषायी और धार्मिक समुदाय हैं जिनकी अपनी-अपनी संस्कृति है। लिहाजा, भारत की संस्कृति में इन सबका सम्मिश्रण है और समय के साथ इनमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं।</p> <p>अगर हम सब इस बात पर सहमत हो जाएँ कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है तो हमारी संस्कृति में भी यह बात झलकनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से हमें एक ऐसे समाज के रूप में आगे बढ़ना चाहिए जो न केवल आपने बच्चों को प्यार करने का दावा करता है बल्कि जो वास्तव में हर वक्त उन्हें प्यार और सुरक्षा देता है।</p>
<p>लड़कियाँ केवल घर के काम के लिए होती हैं। पढ़ाई-लिखाई उन्हें बिगाड़ देती है।</p> <p>बलात्कार और यौन शोषण का खतरा कुंवारी लड़कियों का ज्यादा होता है</p>	<p>शिक्षा का अधिकार लड़कियों के लिए भी लड़कों के समान होता है। अगर उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती तो लैंगिक भेदभाव और गरीबी के चक्र को नहीं तोड़ा जा सकता।</p> <p>जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था, “एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक आदमी पढ़ेगा, एक औरत को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा।” कोई भी महिला चाहे वह शादीशुदा हो या कुंवारी, जवान हो या बूढ़ी, पर्दे में हो या बाहर बलात्कार और यौन शोषण की शिकार बन सकती है। औरतों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विवरण से इस बात की पुष्टि होती है।</p>

कानून क्या कहता है?

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है।

-
-
2. यह कानून बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले बालक/बालिका को अपना विवाह शून्य (गैरकानूनी) घोषित कराने का अधिकार प्रदान करता है।
 3. 18 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष से कम या ज्यादा आयु का पुरुष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है, को 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है, को 2 वर्ष के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

क्या किसी बाल विवाह को रोका जा सकता है?

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी) के पास यह शिकायत दर्ज करवाता है कि इस तरह का विवाह तय किया गया है या इस तरह का विवाह होने जा रहा है तो उसे रोका जा सकता है। शिकायत के आधार पर पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जाँच करके मामले को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाकर निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं।
2. अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी निषेधाज्ञा/आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि एक लाख रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. बाल विवाह से जन्मी संतान कानूनन वैध होती है, भले ही वह विवाह कानून की नजर में अवैध एवं शून्य करार दिया गया हो।
4. यदि किसी बालक को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, फुसलाया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है अथवा बेच कर उसका विवाह कराया जाता है और अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो ऐसा विवाह अवैध और शून्य होगा।

बाल संरक्षण समिति क्या कर सकती है?

- बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के संबंध में लोगों को जागरूक कर सकते हैं।
- बाल अधिकारों के उल्लंघन और कम उम्र में विवाह से स्वास्थ्य के लिए पैदा होने वाले खतरों के संबंध में जागरूकता फैला सकते हैं।
- लोगों को इस बात के लिए समझा सकते हैं कि अपने बच्चों के बालिग होने पर ही उनका विवाह करें।
- सजग रहकर और बाल विवाह की सूचना सक्षम अधिकारियों को देकर बाल विवाह की रोकथाम में मदद कर सकते हैं।
- वर और वधु के माता-पिता को इस बात के लिए राजी करें कि वे विवाह को तब तक टाल दें जब तक दोनों बच्चों कानून के हिसाब से बालिग न हो जाएँ। दोनों बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उनके माता-पिता को समझाएँ।



4. बाल मजदूरी

बाल मजदूरी और बच्चों से काम करवाना, इन दोनों बातों को बहुत सारे लोग एक ही मानते हैं। ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं।

बाल मजदूरी का मतलब है कि अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए बच्चे को शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है। इसमें उसे कमरतोड़ मेहनत और शोषण का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाल मजदूर के अधिकारों का हनन होता है। ऐसे बच्चे शिक्षा, खेल-कूद, भरपेट खाना जैसी जरूरी चीजों से वंचित रह जाते हैं। अगर बच्चे घर में या समाज में छोटे-मोटे काम करें, जिससे उन्हें शारीरिक या मानसिक क्षति न हो, उनके किसी हक का उल्लंघन न हो तो उसे बाल श्रम या बाल मजदूरी नहीं कहा जाएगा। हमारे देश में बच्चों को स्कूल से निकाल कर मजदूरी पर भेजना एक सामान्य बात मानी जाती है।

बच्चे बहुत सारे काम करते हैं। बाल मजदूरी के कुछ क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

- खेती
- मैन्युफैक्चरिंग (कालीन, जरी, परिधान, बीड़ी, कांच, पटाखा, चूड़ी, दियासलाई उत्पादन आदि)
- खदानों में पत्थर तोड़ना
- घरेलू नौकरी
- होटल, रेस्टोरेंट
- सर्कस
- भवन निर्माण
- झींगे की खेती

जनगणना 2011 के अनुसार 5-14 साल की उम्र के 1.01 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का मानना है कि ऐसे बच्चों की संख्या कहीं ज्यादा है क्योंकि असंगठित क्षेत्र और छोटे कारखानों में काम करने वाले बहुत सारे बच्चों को कभी बाल मजदूरी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ईंट के भट्ठों, पत्थर की खदानों, कालीन और जरी उद्योग में काम करने वाले बच्चें सिलिकोसिस, सांस की समस्याओं, पीठ दर्द, कमजोर नजर और पेशे से संबंधित अन्य बीमारियों के शिकार होते हैं।

बाल मजदूरी : बच्चों पर इसका असर

- कार्यस्थल पर बच्चे कई तरह के जोखिम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और शोषण भरी स्थितियों के खतरे में आ जाते हैं।
- बच्चों के शिक्षा संबंधी अधिकारों का हनन होता है।
- बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बेहतरी के लिए खतरा पैदा होता है।

बचपन में काम करने का असर यह होता है कि बच्चे :-

- त्वचा रोग, फेफड़ों में विकार, नजर की कमजोरी, टीबी, सिलिकोसिस आदि कार्यजनित बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं।
- शारीरिक एवं यौन शोषण के खतरे की आशंका बढ़ जाती है।
- ऐसी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते जो उन्हें जीवन में बेहतर अवसर मुहैया करा सके।
- शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिलता, वे बिना किसी योग्यता के बड़े होते हैं तो बालिग होने पर अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान नहीं दे पाते। वे गरीबी के चक्र को नहीं तोड़ पाते।

देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे दलाल और बिचौलिये आम लोगों के शुभचिंतक बनकर गांवों में घूमते हैं और नौकरी के लिए उनके बच्चों को बहला-फुसला कर तथा आर्थिक प्रलोभन देकर ले जाते हैं। ये बच्चे विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं और शोषण का शिकार होते हैं।

बच्चों के लिए नौकरी/मजदूरी करना क्यों गलत है?

किसी भी जाति, वर्ग या इलाके के लिए किसी भी लड़के या लड़की को जिंदगी में आगे बढ़ने, स्वस्थ रहने और आराम व आनंदभरा जीवन बिताने के लिए शिक्षा एवं अन्य अधिकार प्राप्त हैं। अगर कोई भी नौकरी/मजदूरी किसी बच्चे के इन अधिकारों का हनन करती है तो वह गलत है।

अमीर और गरीब बच्चों के लिए अलग अधिकार हो सकता है।

अगर गरीब बच्चें नौकरी/मजदूरी करना छोड़ दें तो उनके परिवार कैसे चलेंगे ?

ज्यादातर कामकाजी बच्चे खेतिहर मजदूर हैं जहाँ उनकी आमदनी इतनी मामूली होती है कि उससे घर चलाना मुश्किल होती है। दरअसल बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि स्कूल में उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें पढ़ने का कोई लाभ दिखाई नहीं देता। अगर आप एक बच्चे को मजदूरी से हटा लेते हैं तो बड़ों के लिए एक और नौकरी पैदा कर देते हैं। हमारे देश में बेरोजगार वयस्कों की

आबादी बहुत बड़ी है। वे इन बच्चों की जगह ले सकते हैं। ऐसे में ये बच्चे अपने बचपन को मुकम्मल तौर पर जी पाएंगे। साथ ही स्कूलों पर ध्यान देना होगा और उन्हें ऐसा बनाना होगा कि शिक्षा अधूरी न छोड़ें।

भ्रांतियाँ	सच क्या है ?
बच्चों को काम पर रखकर मालिक उन पर अहसान करते हैं। काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे।	मालिकों की दिलचस्पी सिर्फ मुनाफे में है। इसके लिए बच्चों से अच्छा मजदूर भला कौन मिलेगा जो बिना वेतन या बहुत मामूली वेतन पर बिन मुँह खोले लंबी-लंबी पालियों में काम करते चले जाते हैं।
बच्चे तो खुद ही काम करना चाहते हैं।	यह कहना गलत है कि बच्चे काम करना चाहते हैं या काम करना पसंद करते हैं। बच्चे स्कूल के मुकाबले मजदूरी को ज्यादा प्राथमिकता इसलिए भी देते हैं क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षा के बोझिल तरीके और अध्यापकों का खराब व्यवहार भी उन्हें हतोत्साहित करता है।
बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण तो गरीबी है।	बाल मजदूरी के पीछे सामाजिक कारणों का भी हाथ रहता है। सामाजिक रूप से वंचित तबके के लोग सामाजिक ऊँच-नीच के शिकार बनते हैं और संसाधनों तक उनकी बराबर पहुँच नहीं हो पाती है।
अगर बच्चे काम न करें तो उनके घर कैसे चलेंगे?	देखने में आया है कि जब सारे घर वाले और बच्चे मजदूरी करते हैं तब भी गरीबी खत्म नहीं होती। परिवार फिर भी वंचित और गरीब ही रहते हैं। गरीबी से लड़ने के लिए कई आर्थिक और सामाजिक उपाय आवश्यक हैं।
माता-पिता ही बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजना चाहते हैं।	वे बालश्रम के दुष्प्रभाव से वाकिफ नहीं होते और केवल आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
गैर-खतरनाक व्यवसायों में बच्चों को काम पर रख लेने में कोई खराबी नहीं है।	अगर बच्चों को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें विकास, शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल, मनोरंजन, विश्राम और खेलने-कूदने का अधिकार नहीं मिलता है तो कोई भी काम, नौकरी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
अगर बच्चे काम करते हैं तो वे भविष्य के लिए एक नया हुनर सीखते हैं।	बच्चे आमतौर पर अकुशल श्रमिक ही होते हैं। खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से उनकी सेहत को नुकसान पहुँचता है और उनका विकास रुक जाता है।
बाल मजदूरी को खत्म नहीं किया जा सकता।	बाल मजदूरी को खत्म करने का काम बड़ा तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब समय आ गया है कि हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएँ। यह समस्या संसाधनों की कमी से पैदा नहीं हुई है, समस्या यह है कि हमारे पास इच्छाशक्ति ही नहीं है।

कानून क्या कहता है?

संविधान का अनुच्छेद 23 तमाम तरह की जबरिया और बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी लगाता है।

संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री या खदान में या किसी भी दूसरे खतरनाक काम पर नहीं रखा जा सकता।

संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि “पुरुष और स्त्री कर्मचारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों”। यह भी प्रावधान किया गया है कि “बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।”

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुछ खास खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम पर रखने पर पाबंदी लगाता है।

यूएनसीआरसी, 1989 का अनुच्छेद 32 कहता है कि “सभी सरकारें बच्चों के इस अधिकार को मान्यता देंगी कि उन्हें आर्थिक शोषण और खतरनाक या बच्चे की शिक्षा के लिए हानिकारक साबित होने वाले या बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक अथवा सामाजिक विकास व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होने वाले कामों से बचाया जाना चाहिए”।

बाल संरक्षण समिति क्या कर सकती है?

- बच्चों को काम पर भेजने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करें।
- माता-पिता को प्रेरित करें कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें।
- धीरे-धीरे एक ऐसा माहौल बनाएँ जिसमें बच्चों को काम से निकाल कर स्कूल भेजा जा सके।
- इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को बिना किसी कठिनाई के स्कूल में दाखिला मिले।
- इस बात का ध्यान रखें कि स्कूल नजदीक हो और वहाँ जरूरी सुविधाएँ, जैसे ब्लैक बोर्ड, बैठने की सुविधा, खेल का मैदान शौचालय आदि उपलब्ध हों।
- नियोजकों को बाल श्रम प्रतिषेध संबंधी कानून और इस कानून को न मानने से उनके लिए क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, के बारे में जागरूक करें। उन्हें बच्चों को काम पर रखने से रोकें और वयस्कों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करें।

-
-
- इस बात पर ध्यान दें कि वयस्क श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिले।
 - अपनी क्षमताओं का उपयोग करके झूलाघर/आंगनबाड़ी जैसे उपलब्ध सरकारी कार्यक्रमों के जरिए दैनिक देखभाल की व्यवस्था करें ताकि छोटे बच्चों की माताएँ काम पर जा सकें और बच्चों को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए पढ़ाई न छोड़नी पड़े।
 - बाल श्रमिकों के नियोजन के लिए काम कर रहे दलालों और बिचौलियों का एकजुट होकर विरोध करें और आवश्यक होने पर कानून का सहारा लें।
 - स्कूलों तक पहुँच और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, शिक्षकों की अनुपस्थिति और बच्चों के पढ़ाई छोड़ देने, मध्याह्न भोजन, स्कूलों में पानी और सफाई सुविधाओं की व्यवस्था आदि मुद्दों पर ध्यान देने के लिए पाठशाला प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय, शिक्षा विभाग आदि का सहयोग प्राप्त करें। इन मामलों में जनसहभागिता भी ली जानी चाहिए।



5. कन्या भ्रूण हत्या

पैदा होने का अधिकार

वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि हमारे देश में हर 1,000 पुरुषों पर औरतों की संख्या केवल 940 रह गई है। बच्चों में यह अनुपात और भी खराब दिखाई देता है। बालक/बालिका का लिंगानुपात 1991 की जनगणना से निरंतर गिरता जा रहा है। 1991 में 1000 लड़कों पर 945 लड़कियां थीं जबकि 2001 में 1000 लड़कों पर केवल 927 लड़कियां रह गई थीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 919 लड़कियों का रह गया है। लिंग चयन पर आधारित गर्भपात या बालिका भ्रूण हत्या की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इसी प्रकार बिहार का बाल लिंगानुपात जो कि वर्ष 2001 में 942 प्रति हजार था, 2011 में घटकर 935 प्रति हजार हो गया है। अभी उससे भी बहुत कम हो गया है।

इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई लड़की भ्रूण हत्या या शिशु हत्या के अभिशाप से बच भी जाए और 0-6 साल के आयु वर्ग में है, तो वह आगे चल कर और जीवित रहेगी। पर्याप्त भोजन न देकर, घर की चारदीवारी में बंद रख कर, बहुत सारा काम सौंप कर, समय पर इलाज और दवा से वंचित रख कर बच्चियों को मार देना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जो लड़कियां जन्म लेती हैं उनमें से भी बहुतों को उपेक्षा भरा जीवन जीना पड़ता है।

कुछ अन्य राज्यों में लड़कियों व औरतों की संख्या कम होती जा रही है। नतीजा, लड़कों के लिए दुल्हन नहीं है। वहां के कई लोग दूसरे राज्यों की कम उम्र की लड़कियों/औरतों को खरीद कर लाते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से इस तरह की “दुल्हनों” का इंतजाम करने में दलाल अहम भूमिका निभाते हैं।

“हर साल 1.2 करोड़ लड़कियाँ पैदा होती हैं। उनमें से 30 लाख लड़कियाँ पंद्रहवें जन्मदिन तक मौत के मुँह में चली जाती हैं। इन 30 लाख में से लगभग एक तिहाई लड़कियां जिंदगी का पहला साल भी पूरा नहीं कर पाती। अनुमान लगाया जाता है कि हर छठी लड़की/औरत की मौत लैंगिक भेदभाव के कारण होती है।”

(ह्यूमन डिवेलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी, 2005)

लिंग आधारित गर्भपात इतनी बड़ी बात क्यों है ?

- क्योंकि, लड़के और लड़की, दोनों को ही जीवित रहने का बराबर अधिकार है। हमारा संविधान भी

किसी के साथ पक्षपात की छूट नहीं देता ।

- क्योंकि इस तरह की हिंसा के कारण, लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा और बढ़ जाती है, जैसे कि जिन राज्यों में लड़कियों की संख्या कम है वहाँ क लोग शादी के लिए दूसरे राज्यों से लड़कियों को खरीद कर लाते हैं।
- अगर 01 से 05 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों की संख्या में आ रहे अंतर को दूर कर दिया जाए तो 1.3 लाख बच्चे असमय मरने से बच जाएंगे और बाल मृत्यु दर में 5 प्रतिशत की कमी आ जाएगी।

बालिका भ्रूण हत्या के लिए अक्सर लोगों की गरीबी और आर्थिक मजबूरियों का हवाला दिया जाता है जो कि गलत है। आखिर समाज की हर विकृति के लिए गरीबी को कब तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा ?

भ्रांतियाँ	सच क्या है ?
बुढ़ापे में बेटे ही माँ-बाप की देखभाल करते हैं। बेटियाँ तो ब्याह करके ससुराल चली जाती हैं।	वृद्धाश्रमों को जाकर देखने पर पता चलता है कि लड़के अपने माँ-बाप की कितनी फिक्र करते हैं ! ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सामने हैं जहाँ शादीशुदा लड़कियों ने ही वृद्ध और बेसहारा माँ-बाप को सहारा दिया है।
लड़कियाँ कमा कर नहीं लातीं इसलिए वे तो परिवार पर बोझ होती हैं । ऊपर से उनकी शादी करना भी आसान नहीं होता।	ये सिर्फ एक बहाना है। हकीकत ये है कि लड़कियाँ भी काम करके पैसा कमा कर लाती हैं। साथ ही, वे घर के सारे काम करती हैं और बुजुर्गों व भाई भहनों की देखभाल करती हैं। जब वे घर का कामकाज संभालती हैं तो उसका मूल्य एकदम से दिखाई नहीं देता इसलिए उसे महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि उनका यह योगदान परिवार को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम ऐशो-आराम के बढ़ते चलन और दहेज व शादी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की बड़ी-बड़ी बातें तो खूब करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। हमारा घमंड और झूठी इज्जत हमें सादगी से जीने से रोक देते हैं। हम जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं और ऐशो-आराम मजे की जिंदगी जीना चाहते हैं।
वंश तो सिर्फ बेटों से चलता है। चिता को आग भी बेटा देता है।	इन मान्यताओं को चुनौती दी जानी चाहिए । ये समाज की पितृसत्तात्मक संरचना का हिस्सा है।

बालिका भ्रूण हत्या और शिशु हत्या के खिलाफ एक लंबी लड़ाई छेड़ना जरूरी है। अलग-थल रहकर इस तरह की भयानक विकृति से नहीं लड़ा जा सकता। दहेज, औरतों की बेरोजगारी और अल्प-रोजगार, शोषण, लड़कियों की खराब शैक्षणिक स्थिति और समय से पहले पढ़ाई छोड़ देने की भारी-भरकम दर, कम उम्र में विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों से हमें साथ-साथ लोहा लेना होगा।

सोनोग्रॉफी केन्द्र, लैब क्लीनिक का संचालन, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति या संस्था के अतिरिक्त अन्य किसी को इन तकनीकी से संबंधित मशीनों इत्यादि का क्रय-विक्रय तथा लिंग चयन संबंधी विज्ञापनों का किसी भी प्रचार माध्यम से प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। प्रथम अपराध पर तीन वर्ष तक सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए तक जुर्माना एवं द्वितीय अपराध पर 05 वर्ष तक सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

भारतीय दंड विधान (आईपीसी), 1860 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये निम्नलिखित कृत्य दंडनीय अपराध हैं :-

- अगर किसी व्यक्ति के हाथों किसी की मृत्यु होती है (धारा 299 और धारा 300)
- किसी गर्भवती महिला को जान-बूझकर ऐसी स्थिति में डालना जिसमें उसका अजन्मा शिशु मर जाए (धारा 312)
- बच्चे के मृत पैदा होने या जन्म के बाद मर जाने देने की इच्छा के साथ किया गया कार्य (315)
- किसी अजन्मे शिशु की मृत्यु के हालात पैदा कर देना (धारा 316)
- 12 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ देना या खतरे में डालना (धारा 317)
- नवजात शिशु को फेंक कर या ठिकाने लगाकर उसके जन्म को छिपाना (धारा 318)

यह सजा दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों के रूप में हो सकती है।

बाल संरक्षण समिति क्या कर सकती है ?

- कानून के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं ।
- सचेत रहें और भ्रूण हत्या व नवजात बालिका की हत्या को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का उपयोग करें।
- अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवायें ।
- अपनी पंचायत / ब्लॉक / नगर में होने वाले हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवायें।
- जन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ायें।
- समुदाय को इस तरह के जघन्य अपराधों के खिलाफ एकजुट करें।
- एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दाइयों से बात करें । इनसे आपको ऐसी घटनाओं की सूचना मिल सकती है।
- अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करके अपनी जेब भरने के लिए लिंग परीक्षण करने वाले झोलाछाप नीम-हकीमों और क्लीनिकों के खिलाफ मुहिम चलायें ।
- कन्या भ्रूण हत्या संबंधी घटनाओं से संबंधित जिले के जिम्मेदार अधिकारी को अवगत कराएँ।



6. बाल यौन शोषण

हमारे देश में यौन शोषण के शिकार बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। घर के बाहर और घर के अंदर भी बच्चों के साथ ऐसी घटनाएँ होती हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि यौन शोषण बच्चों के अधिकारों का सबसे भीषण उल्लंघन है। इसके पीड़ितों और उनके परिवारों पर दीर्घकालिक दुष्परिणाम होते हैं।

सच है कि यौन शोषण की आशंका लड़कियों के सामने ज्यादा रहती है। लेकिन, प्रचलित मान्यता के विपरीत लड़के भी इस खतरे का सामना करते हैं। मानसिक और शारीरिक निःशक्तता वाले बच्चों के साथ यह खतरा और भी अधिक होता है।

यौन शोषण का अपराधी बच्चे का परिचित भी हो सकता है और अजनबी भी। 30 प्रतिशत मामलों में अपराधी व्यक्ति बच्चे का परिचित और विश्वासपात्र पाया गया है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर भरोसे के संबंधों का फायदा उठाता है और अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अपना शिकार बनाता है। बहुत सारे मामलों में तो अपराधी व्यक्ति बच्चे का कोई घनिष्ठ संबंधी ही होता है। जैसे-पिता, बड़ा भाई, चचेरा भाई, चाचा या पड़ोसी आदि। जब अपराधी व्यक्ति परिवार का सदस्य होता है तो इस तरह की घटना को कौटुंबिक व्यभिचार (incest) कहा जाता है।

यौन शोषण या किसी यौन कृत्य की घटना के बारे में बच्चे किसी को कुछ भी बताने से डरते हैं। कौटुंबिक व्यभिचार के मामले में तो इस चुप्पी को तोड़ना बच्चों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। परिवार के टूटने या अविश्वास के डर से बच्चे किसी को कुछ नहीं बता पाते। मां-बाप तथा घर के बड़े लोग, बल्कि स्वयं समाज उनकी बेचैनी को नजरअंदाज करके बच्चों के साथ बार-बार होने वाले यौन शोषण या दुराचार को छुपाने की कोशिश करता चला जाता है।

“जब बच्चे किसी यौन शोषण की घटना के बारे में बताते हैं तो कई बार उन पर ही शक किया जाता है। इस तरह उनके भरोसे और आत्मविश्वास को ठेस पहुँचती है। बच्चे के भीतर अपराधबोध पैदा करके उसे ये अहसास भी कराया जाता है कि किसी न किसी तरह उसके व्यवहार और आचरण ने ही दुराचार करने वाले को उकसाया होगा”। कई बार सांस्कृतिक और सामाजिक कारण भी यौन शोषण को बढ़ावा देते हैं। इससे लड़कियों व औरतों के यौन शोषण की संभावना खासतौर से बढ़ जाती है। इन्हीं सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से ऐसा दुराचार छिप जाता है, उपेक्षित रह जाता है या उसे सामान्य अनुभव का हिस्सा मान लिया जाता है।

बाल यौन शोषण क्या होता है?

- अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का यौन संबंध बनाया जाता है या उसे इस काम के लिए उपयोग किया जाता है या उसे अश्लील सामग्री दिखाई जाती है तो यह बाल यौन शोषण कहलाता है। इसमें बच्चे की सहमति हो या न हो, चाहे अपराधी व्यक्ति अपनी यौन संतुष्टि के लिए ऐसा कर रहा हो या किसी और की यौन संतुष्टि के लिए, इस तरह के कृत्य को बाल यौन शोषण ही कहा जाएगा।
- बाल यौन शोषण या बच्चे पर यौन हमले का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि उसके साथ बलात्कार ही हुआ हो। बच्चों के साथ कई तरह के यौन शोषण होते हैं। बलात्कार उनमें से एक है।
- यौन शोषण वाली गतिविधियों का हमेशा यह अर्थ नहीं होता कि बच्चे और उसके साथ दुराचार करने वाले के बीच आपस में कोई शारीरिक संबंध या संपर्क हो। बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना या ताक-झांक करना भी दुराचार की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को नहाते हुए या कपड़े उतारते हुए देखता है या कोई व्यक्ति दो बच्चों को आपस में यौन गतिविधियाँ करने के लिए मजबूर करता है या उनकी फिल्म बनाता है तो यह भी यौन शोषण माना जाएगा। इस तरह के दुराचार में शारीरिक संपर्क नहीं होता।
- बाल यौन शोषण तब भी होता है जब कोई वयस्क या कद काठी अथवा उम्र के हिसाब से जिम्मेदार वयस्क या दूसरा बच्चा किसी बच्चे का यौन संतुष्टि के लिए उपयोग करता है।

“आम धारणा यह है कि जब बच्चे को साथ बलात्कार होता है तो वही बाल यौन शोषण कहलाता है। यह सोच गलत है। अगर बलात्कार न हुआ हो तो भी बच्चा यौन शोषण का शिकार हो सकता है।”

बाल यौन शोषण के कई रूप हैं। यहाँ हमने जितनी तरह के बाल यौन शोषण का जिक्र किया, उनके अलावा भी कई अन्य प्रकार के दुराचार हो सकते हैं। जैसे कि यौन छेड़छाड़-बच्चे को सहलाना, थपथपाना, चूमना, आपस में हस्तमैथुन करना, अश्लील बातें करना और अश्लील इशारे करना इसी श्रेणी में आते हैं।

बच्चे के साथ इनमें से किसी भी प्रकार का दुराचार हो सकता है-

- शिशन प्रवेश या वस्तुओं या शरीर के अन्य अंगों के माध्यम से संभोग करना।
- बच्चों को अश्लील फिल्में/तस्वीरें आदि दिखाना-सुनाना और इस तरह की अश्लील सामग्री तैयार करने के लिए बच्चों का उपयोग करना।
- किसी चीज या शरीर के किसी हिस्से से बच्चे के शरीर को छू कर यौन संतुष्टि हासिल करना।

- गंदे इरादों के साथ अपने गुप्तांग या शरीर के अन्य भागों को दिखाना।
- यौन गतिविधि दिखाकर या दो या दो से ज्यादा बच्चों को आपस में यौन संपर्क के लिए मजबूर करके मजे लेना।
- अश्लील फिकरे कसना या भद्दी एवं गंदी भाषा या भाव-भंगिमाओं से किसी बच्चे को अपमानित करना।

उत्पीड़क व्यक्ति किस तरह से काम करते हैं-

- वह अपने शिकार को तैयार करता है और उसे नियंत्रित करता है। यह काम थोड़े से समय में भी हो सकता है और उसमें कई माह भी लग सकते हैं।
- इस प्रक्रिया से उत्पीड़क व्यक्ति को फायदे होते हैं। एक तो पीड़ित बच्चे को चुप रखने में मदद मिलती है और दूसरे, कई बार बच्चे के घरवाले भी खामोश रहते हैं। इससे अपराध के उजागर हो जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है और सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहता है।
- वह बच्चे को डरा-धमका कर, परेशान करके, शर्मिंदा करके या भ्रमित करके अपनी बात मानने के लिए मजबूर करता है। कई बार दुराचार के लिए बच्चे को तैयार करने के वास्ते इस तरह की धमकियाँ भी दी जाती हैं कि उसके घर के किसी व्यक्ति को मार दिया जाएगा या किसी बच्चे को उठवा लिया जाएगा।
- उत्पीड़क व्यक्ति अपहरण, धोखाधड़ी या जालसाजी के जरिए बच्चे के नजदीक पहुँच जाता है।
- वह अपनी ताकत या बच्चे की कमजोर हैसियत का फायदा उठाता है।

यौन शोषण का बच्चों पर क्या असर होता है ?

- दुराचार का असर अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह का हो सकता है।
- बच्चे को चोट लग सकती है। उदाहरण के लिए बच्चे के शरीर पर खरोंच, मुँह से काटने या छिलने का निशान हो सकता है।
- बहुत सारे बच्चे वयस्क होने पर समस्याओं से घिर जाते हैं। कई बार बच्चे दब्बू बन जाते हैं, खुद को ही अपराधी मानने लगते हैं। कई बच्चे निराशा, बेचैनी और बड़े होने पर यौन संबंधों में कठिनाई का सामना करते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर परिवार से कटे-कटे से दिखाई देने लगते हैं।
- यौन शोषण से सिर्फ बच्चे के शरीर और मन को ही ठेस नहीं पहुँचती। उसका भरोसा भी टूट जाता है।

जिसके कारण वह लंबे समय तक अस्थिर/असहज रहता है। कई बार ऐसा बच्चा जीवन भर सामान्य नहीं हो पाता और अगर उसका मानसिक इलाज न कराया जाए तो उसके सारे संबंधों/व्यवहारों पर असर पड़ता है।

भ्रांतियाँ	सच क्या है ?
यौन शोषण सिर्फ लड़कियों के साथ होता है। बाल यौन शोषण केवल गरीबों, मेहनत-मजदूरी करने वालों, बेरोजगार या अशिक्षित परिवारों में ही होता है। मध्यम वर्ग में ऐसा नहीं होता। शहरों और कस्बों में ऐसा होता है लेकिन गांवों में ऐसा नहीं होता।	जी नहीं। लड़के और लड़कियाँ, दोनों ही यौन शोषण का शिकार बनते हैं। हालाँकि लड़कियों पर इस बात का खतरा ज्यादा होता है। बाल यौन शोषण की समस्या हर वर्ग, जाति या इलाके के लड़के-लड़कियों, दोनों को झेलनी पड़ती है। बच्चा शहर का है या गाँव का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
बाल यौन शोषण एक पश्चिमी अवधारणा है।	यौन शोषण की समस्या शुरू से ही हमारे समाज में रही है। लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना या देवदासी अथवा जोगिनी जैसी धार्मिक व सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए मंदिरों-मठों में अर्पित कर देना इस बात की मिसाल है। अब इस तरह की नाइंसाफी के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। ये घटनाएँ बार-बार खबरों में आने लगी हैं। बालिग महिलाओं के बीच किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि उनमें से 70 प्रतिशत ने अपने जीवन में किसी न किसी तरह के दुराचार का सामना किया था। इन 70 प्रतिशत में से भी आधी से ज्यादा महिलाएँ ऐसी थीं जो परिवार के सदस्यों या परिचितों के हाथों दुराचार का शिकार बनीं। पश्चिम पर दोष मढ़ने की सोच दरअसल इस कठोर सच्चाई को नकारने में मदद देती है।
परिवार से सुरक्षित जगह कोई नहीं होती। बच्चों के साथ यौन शोषण तो सिर्फ अजनबी करते हैं।	यह मान्यता भी गलत है। ज्यादातर मामलों में यौन अपराधी परिवार के ही सदस्य या बच्चे की जान-पहचान वाले होते हैं।
उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति मनोरोगी या दिमागी तौर पर बीमार होता है।	यह सोचना गलत है कि बच्चों का यौन शोषण करने वाले दिमागी तौर पर पागल होते हैं। आमतौर पर वे बिल्कुल सामान्य और विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। बाल यौन शोषण करने वाले लोग अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए तरह-तरह की कोशिश करते हैं। पागलपन भी इसी तरह का एक बहाना है।

भ्रांतियाँ	सच क्या है ?
बच्चे/किशोर अक्सर मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ लेते हैं। ये यौन शोषण के झूठे किस्से सुनाते हैं।	असलियत यह है कि जब बच्चे इस तरह की घटनाओं के बारे में बताते हैं तो, ज्यादातर वे सच ही बोल रहे होते हैं। मनगढ़ंत कहानियों के इस आरोप और कौटुंबिक व्यभिचार/बाल यौन शोषण की बातों पर समाज में फैले अविश्वास के कारण कई बार पीड़ित बच्चा ही शक के घेरे में घिर जाता है।
कौटुंबिक व्यभिचार/बाल यौन शोषण सिर्फ “गंदी” लड़कियों के साथ होता है। जरा उसके रंग-ढंग तो देखो वह अच्छी लड़की नहीं है।	इस तरह के बयान असल में पीड़ित को ही जिम्मेदार ठहराने का काम करते हैं। ये वक्तव्य कौटुंबिक व्यभिचार/बाल यौन शोषण को झुठलाने या उसको मामूली बात साबित करने की कोशिश करते हैं। सच तो यह है कि बच्चे को “समाज विरोधी” या “अजीबो-गरीब” आचरण कई बार उसके साथ हुए यौन शोषण का कारण नहीं बल्कि उसका परिणाम होता है।
अगर बच्चा किशोर या ज्यादा उम्र का है तो उसे सेक्स के बारे में जरूर पता होगा। ऐसे में तो उसी की जिम्मेदारी है कि वह किसी को अपने साथ ऐसा न करने दे या औरों को इसके बारे में बताए।	इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे की उम्र क्या है। दुराचार करने वाले की ताकत हमेशा उससे ज्यादा होती है। पीड़ित बच्चा उत्पीड़क की चालाकियों का मुकाबला नहीं कर सकता, न तो उसके पास दुराचार को रोकने के साधन होते हैं और न ही औरों को इसके बारे में बताने की ताकत होती है। अगर अपराधी व्यक्ति परिवार का ही सदस्य या कोई नजदीकी रिश्तेदार है तब तो बच्चे में प्रतिरोध की ताकत और भी घट जाती है। अगर बच्चा यौन संबंधों के बारे में समझने लगा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह इस तरह के हालात से निपटने की तरीका भी जान गया है।
बच्चे ने ही सहमति दी थी।	बच्चे के मामले में सहमति का कोई मतलब नहीं होता।
लोग अपनी बेटियों या दूसरे बच्चों के साथ इसलिए सेक्स करते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां उनके साथ सेक्स नहीं करतीं यो उन्हें जिस्मानी तौर पर संतुष्ट नहीं कर पाती।	बच्चों के साथ इस तरह से दुष्कृत्य करने वाले अपनी पत्नी/वयस्क साथी के साथ तो सेक्स करते ही हैं, इसके अलावा वे बच्चों के साथ भी सेक्स करते हैं। इस तरह की गलतफहमी से सारा दोष अपराधी की बजाय उसकी पत्नी या बच्चे की माँ के माथे पर चला जाता है।
जाने-अनजाने में माताओं को हमेशा पता होता है कि उनके बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है।	यौन शोषण करने वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी हरकतों को कोई न देखे। जब पीड़ित बच्चे की माँ को इस तरह की बातों का पता चलता है तो वह अक्सर सदमे की हालत में पहुँच जाती हैं। जिन माताओं को यह पता होता है, उनमें से भी कई की हालत इतनी कमजोर होती है कि वे इस तरह की हरकतों को नहीं रोक पातीं।
यह माँ की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर वह बच्चों	अगर कोई माँ अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाती है तो इसका यह मतलब यह नहीं है कि दुराचारी व्यक्ति की हरकतों के लिए माँ को ही जिम्मेदार

का ध्यान नहीं रखतीं तो इसका मतलब है कि दुराचार में उसकी भी बराबर की जिम्मेदारी बनती है।	उहरा दिया जाए। बच्चों की सुरक्षा हर वयस्क की जिम्मेदारी है। इसके लिए सिर्फ माँ को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।
बच्चों के साथ दुराचार तो अजनबी ही करते हैं।	बाल दुराचार के ज्यादातर अपराधी, परिवार के सदस्य या जान-पहचान वाले ही होते हैं। अजनबियों के पास बच्चे तक पहुँचने के ज्यादा रास्ते नहीं होते। न ही उनके पास इतने अवसर होते हैं जितने परिवार के सदस्यों या परिचितों के पास होते हैं।
जब कौटुंबिक व्यभिचार का संबंध प्रेमपूर्ण और देखभाल भरा हो तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता।	यह सोच गलत है। कोई यौन संबंध बच्चे के लिए बेरहमी भरा या कोमल, दर्द भरा या आनंददायक हो सकता है लेकिन अंत में उससे बच्चे को नुकसान ही पहुँचता है। अगर अपराधी व्यक्ति बच्चे के प्रति बहुत लगाव और प्रेम दर्शाता है तो यह बच्चे के लिए और भी हानिकारक बात हो सकती है। मुमकिन है कि ऐसे उत्पीड़न का शिकार बच्चा खुद को ही दोषी मानने लगे, अपने ऊपर ही विश्वास गँवा दे।
कौटुंबिक व्यभिचार/बाल यौन शोषण से कोई नुकसान नहीं होता। इससे बच्चे पर बुरा असर नहीं पड़ता।	किसी वयस्क के साथ यौन संबंध बनाने से किसी भी बच्चे पर अक्सर दीर्घ-कालिक विपरीत असर पड़ते हैं। अगर वह व्यक्ति भरोसेमंद रिश्तेदार या परिवार का सदस्य है तो बच्चे को गहरा सदमा भी लग सकता है।
बच्चों के साथ यौन संपर्क सुरक्षित होता है क्योंकि उनसे एड्स का वायरस नहीं फैलता।	यह सोच गलत है।
कुंवारी लड़की के साथ सेक्स से तो यौन संक्रामक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं।	<p>बच्चों या कुंवारी लड़कियों के साथ सेक्स करने के कारण आज तक किसी की यौन संक्रामक बीमारियाँ ठीक नहीं हुईं बल्कि सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इन गलत धारणाओं के कारण बच्चे ही यौन संक्रामक बीमारियों, आरटीआई और एचआईवी/एड्स के खतरे में आ जाते हैं।</p> <p>बच्चे के साथ सेक्स करने से उनके ऊपर यौन संक्रामक बीमारियों और एचआईवी वायरस की चपेट में आने का खतरा और बढ़ जाता है। बच्चे न तो इस बात के लिए दबाव डाल सकते हैं कि कंडोम का उपयोग किया जाना चाहिए और न ही उन्हें सही गलत यौन पद्धतियों के बारे में पता होता है।</p>
अगर बाल यौन शोषण के बारे में रिपोर्ट	ऐसा सोचना न केवल गलत है बल्कि इससे पीड़ित को ही नुकसान पहुँचता है। बाल यौन शोषण की घटनाओं को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे जानकारी भी एकत्र हो जाती है।

दर्ज करायी जाती है तो फायदे की बजाय नुकसान ही ज्यादा होता है।

बहुत सारे लोग यह सोच कर बाल यौन शोषण के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते क्योंकि इससे बदनामी होती है। लोग इस वजह से भी डरे रहते हैं कि जटिल कानूनी कार्यवाही में पीड़ित बच्चे को और ज्यादा मानसिक आघात पहुंचता है। इस बात का भी डर रहता है कि कहीं अपराधी बदला न लेने लगे। लेकिन, अगर आप अपराध के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएंगे तो समाज में यह अपराध बेरोक-टोक चलता रहेगा और दुनिया में इंसाफ नाम की चीज नहीं बचेगी।

यौन शोषण का कोई हर्जाना नहीं हो सकता। अगर पीड़ितों को इंसाफ पाने में सहायता दी जाए तो वे अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास वापस हासिल कर सकते हैं। अगर उन्हें नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है तो उनकी स्थिति और खराब हो जाती है। न्याय पाने की प्रक्रिया से भी लोगों को ताकत मिलती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। न्याय की उम्मीद ही छोड़ देने से कोई हल नहीं निकलता।

कानून क्या कहता है?

- इसके लिए देश में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा संशोधित अधिनियम 2019 लागू किया गया है। इस कानून के अनुसार-
- प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध प्रवेशन लैंगिक हमले के दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
- गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और जुर्माने अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- लैंगिक हमले के लिए दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने तथा गुरुत्तर लैंगिक हमले के लिए दोषी व्यक्ति को 5 से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
- लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
- अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों के उपयोग के दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास और

जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

- किसी बच्चे के साथ हो रहे यौन दुर्व्यवहार की जानकारी छुपाना एवं उचित प्राधिकारी को सूचित नहीं करने के दोषी व्यक्ति को कम से कम 6 माह तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 354 की उपधारा A, B, C एवं D के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चियों का यौन शोषण (अप्रिय शारीरिक संपर्क, यौन संपर्क हेतु मांग या अनुरोध, यौन टिप्पणी या उनका पीछा करना, अश्लील तरीके से देखना आदि कृत्य) करने पर दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

बाल संरक्षण समिति क्या कर सकती है ?

- बाल यौन शोषण से निपटने के लिए सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि लड़कों और लड़कियों, दोनों को ही दुराचार का शिकार बनाया जाता है और दोनों को ही मदद एवं सुरक्षा की जरूरत होती है।
- समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करें। इससे न केवल समस्या की रोकथाम करने में मदद मिलेगी बल्कि पीड़िता को अपनी समस्या बताने में भी मदद मिलेगी।
- ऐसे मंच तैयार करें जहां बच्चों को शिक्षक/शिक्षिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम की सहायता से स्थानीय स्तर पर ही सही जानकारी और मदद मिलने लगे।
- बच्चे की बात गौर से सुनें।
- बच्चे की गोपनीयता बनाकर रखें।
- नजदीकी थाने में ऐसी प्रत्येक घटना की एफआईआर जरूर दर्ज कराएँ।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएँ।
- जिले की बालक कल्याण समिति को सूचित करें।
- विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त करें।



7. निःशक्त बच्चे

निःशक्त व्यक्ति के अधिकार

निःशक्त व्यक्तियों के भी वही सारे मौलिक अधिकार होते हैं जो उनकी उम्र के दूसरे नागरिकों को मिलते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरों को है। निःशक्त व्यक्तियों को इस तरह की सेवाओं का भी हक होता है जिनके सहारे वे ज्यादा आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। उन्हें इस बात का अधिकार है कि आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के हर चरण में उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।

निःशक्त व्यक्तियों को अक्सर सहानुभूति की नजर से देखा जाता है। सहानुभूति की बजाय इस बात की जरूरत है कि हम उनकी स्थिति को समझें और उन्हें हर मुमकिन मदद दें। अर बच्चा निःशक्त है तो उसे आर्थिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। परिवार और समुदाय ऐसे बच्चे को एक अनचाहे बोझ की तरह देखते हैं। माँ-बाप भी अपने निःशक्त बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। उन्हें भी यही लगता है कि ऐसा बच्चा भला पढ़-लिख कर भी क्या कर लेगा। दुख की बात है कि निःशक्त बच्चों में से बहुत थोड़े बच्चे ही स्कूलों में दाखिला ले पाते हैं।

निःशक्त बच्चों की खास तरह की जरूरतें होती हैं। हमें वे जरूरतों को पूरी करनी चाहिए। अगर मौका मिले तो वे भी ऐसे हुनर सीख सकते हैं जिनसे उनकी रोजी-रोटी चल सकती है। निःशक्तता एक मुसीबत या त्रासदी तभी बनती है जब हम निःशक्त व्यक्ति को वे सुविधाएँ नहीं दे पाते जिनके सहारे वह जिंदगी में आगे बढ़ सकता था।

भ्रांतियाँ	सच क्या है ?
निःशक्त बच्चे के लिए पढ़ाई-लिखाई का कोई मतलब नहीं है।	जी नहीं, पढ़ाई-लिखाई तो हर बच्चे के लिए जरूरी है। चाहे बच्चा निःशक्त हो या न हो, उसके पूरे विकास में शिक्षा लाभदायक होती है।
निःशक्त बच्चे का कोई महत्व नहीं होता। इस तरह के बच्चे तो घर वालों के ऊपर बस एक बोझ होते हैं। वे कमा कर नहीं ला सकते।	अगर सही प्रशिक्षण और मदद दी जाए तो निःशक्त बच्चे को भी कई ऐसे काम-धंधे सिखाए जा सकते हैं जिनके सहारे वह कमा सकते हैं और सम्मान जनक जिंदगी जी सकते हैं।
निःशक्त बच्चा ऐसे माँ-बाप के घर में ही पैदा होता है जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था।	अतीत या पिछले जन्म से निःशक्तता का कोई संबंध नहीं है। गर्भावस्था के समय हुई किसी लापरवाही या कमी या आनुवांशिक विकृतियों के कारण निःशक्तता हो सकती है।

कानून क्या कहता है?

निःशक्त बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह सभी कानूनों का संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा कुछ ऐसे खास कानून भी हैं जो निःशक्त बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। ये कानून इस प्रकार हैं :-

- निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूरी हिस्सेदारी) कानून, 1995- इस कानून में निःशक्त व्यक्तियों को भी समान मौके देने की व्यवस्था की गई है। ये कानून इस बात की व्यवस्था करता है कि सभी सेवाओं में निःशक्त व्यक्तियों की पूरी हिस्सेदारी हो और उन्हें शिक्षा, रोजगार व प्रशिक्षण, नौकरियों में आरक्षण, शोध एवं मानव संसाधन विकास, स्वतंत्र माहौल, पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता, विशेष बिमा योजना व गंभीर निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों की सुविधा जैसे सारे अधिकार मिलें।
- मानसिक स्वास्थ्य कानून, 1987- यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि मानसिक रोग और मानसिक रोगी को कलंक की नजर से न देखा जाए। इस कानून में कहा गया है कि मानसिक रोगियों का भी अन्य रोगियों की तरह सामान्य रूप से इलाज किया जाना चाहिए और उनके आसपास भी ज्यादा से ज्यादा सामान्य माहौल होना चाहिए।
- इस कानून के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों की देखरेख और कल्याण के लिए एक संस्था बनाने का प्रावधान किया गया है जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक अल्पविकास और एक से अधिक अपंगताओं के शिकार हैं। इस कानून का उद्देश्य मानसिक अल्पविकास और सेरेब्रल पल्सी के रोगियों की देखभाल करना है।
- इन कानूनों के अलावा भी निःशक्त बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं में कई विशेष प्रावधान और व्यवस्थाएं की गई हैं। उदाहरण के लिए-
- वर्ष 1974 में निःशक्त बालक एकीकृत शिक्षा योजना शुरू की गई ताकि निःशक्त बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिला दिया जा सके।
- वर्ष 1985 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा का सर्वव्यापीकरण तभी किया जा सकता है जब निःशक्त बच्चों को भी शिक्षा के पूरे मौके दिए जाएँ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 मामूली निःशक्तता वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा संस्थानों से जोड़ने पर बल देती है।

- वर्ष 1987 में एकीकृत निःशक्त शिक्षा परियोजना शुरू की गई। यह परियोजना आसपास के सभी स्कूलों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे निःशक्त बच्चों को दाखिला दें।
- राष्ट्रीय ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक अल्पविकास एवं एकाधिक निःशक्तता कल्याण ट्रस्ट कानून, 1999 में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है।
- सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए 2000) में कहा गया है कि “किसी भी तरह और किसी भी स्तर की निःशक्तता से ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को सही वातावरण में पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए।”

बाल संरक्षण समिति क्या कर सकती है?

- सबसे पहले तो हम सबको शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह की निःशक्तता के बारे में और ज्यादा समझना चाहिए। केवल तभी हम उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि अलग-अलग तरह की निःशक्तता से निपटने के लिए खास और अलग तरह के प्रयास जरूरी हो जाते हैं।
- निःशक्त बच्चों को सेवाएँ मुहैया कराने वाली संस्थाओं से हमें निरंतर संपर्क रखना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई निःशक्त बच्चा है तो उसके परिवार को ऐसी संस्था से मिलवाना चाहिए।
- निःशक्तता से जुड़े अहसास को दूर करने के लिए समुदाय में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। आप लोग ये समझाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं कि निःशक्त बच्चा किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और उसे किस तरह की सहायता दी जा सकती है ताकि वह इन बाधाओं को पार कर सके और उसका विकास सही ढंग से होता रहे।
- माता-पिता, परिवार और देखभाल करने वालों को निःशक्त बच्चों की जरूरतों से परिचित करवाएँ। बैठकों में और अलग से मिलकर निःशक्त बच्चों के माता-पिता को स्कूल तथा उसकी गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल करें।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को निःशक्त बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बनाएँ और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करें।
- स्कूल तथा अन्य संस्थाओं पर नजर रखें। इस बात पर ध्यान दें कि वहाँ निःशक्त बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो और उनकी विशेष आवश्यकताओं की उपेक्षा न की जाए।



8. जातीय भेदभाव

हमारे देश के कई हिस्सों में छुआछूत आज भी जारी है। हमारे भोले-भाले बच्चे इस बारे में कुछ नहीं जानते पर वे इस भेदभाव को झेलते हैं।

चाहे स्कूल हो या खेल का मैदान, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता है। यह कितनी हैरानी और विडंबना की बात है कि आधुनिकीकरण और विकास के रास्ते पर चलते हुए भी हम अपने बच्चों को छुआछूत का पाठ पढ़ा रहे हैं।

हम अक्सर ये तर्क देते हैं कि सामाजिक ऊँच-नीच की व्यवस्था हमने नहीं बनाई थी यह तो पहले से ही ऐसी थी। लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि ऊँच-नीच के ये अंतर कुछ लोगों को दबाए रखने के लिए ही बने हैं। अर्थात् अगर हम चाहें तो इन्हें बदल भी सकते हैं।

भ्रांतियाँ	सच क्या है ?
आज के आधुनिक और वैश्विक भारतीय समाज में जातीय भेदभाव कहाँ होता है।	जी नहीं, यह भेदभाव अभी भी मौजूद है। ऐसे आंकड़ों और साक्ष्यों की कोई कमी नहीं है जिनसे साबित होता है कि समाज के कुछ तबकों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी भी एक जाति का लड़का या लड़की दूसरी जाति में शादी कर ले तो हंगामा हो जाता है। जो युवा ऐसा करता है उन्हें हिंसा और मुसीबतों की सामना करना पड़ता है।
बच्चों को तो सब प्यार करते हैं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता।	जी नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता। जातीय भेदभाव से सबसे पहला आमना-सामना तो बचपन में ही हो जाता है। हमारे बच्चे स्कूल में, खेल के मैदान में, अस्पतालों में और तमाम दूसरे स्थानों पर इस भेदभाव का सामना करने लगते हैं।
बार-बार जातीय भेदभाव का जिक्र करके हम इस समस्या को और मजबूत करते जा रहे हैं।	भेदभाव के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि इस विषय पर चर्चा की जाए, जागरूकता उत्पन्न की जाए और आम जनता को संवेदनशील बनाया जाए।

कानून क्या कहता है?

भारत का संविधान

अनुच्छेद 14- देश का हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में बराबर है और सभी को कानून की सुरक्षा मिलनी चाहिए।

अनुच्छेद 15- नस्ल, जाति, लिंग, कुनबे, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 16- किसी भी सरकारी नौकरी के लिए नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव गैरकानूनी है।

अनुच्छेद 17- 'छुआछूत' पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्थान किसी भी तरह से छुआछूत फैलाता है तो उसे सजा दी जाएगी।

'छुआछूत' को मानने और उसकी हिमायत करने वालों को सजा देने के लिए सबसे पहले नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून, 1955 बनाया गया था। इन कानून में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से पुकारना भी अपराध है जिसके लिए सजा दी जा सकती है। अर्थात् अगर कोई व्यक्ति 'चमार' जाति के व्यक्ति को 'चमार' कहकर पुकारता है तो वह गलत करता है।

भारत सरकार ने 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989 बनाया है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी भी तरह की हिंसा या भेदभाव करता है तो उसे सजा दी जाएगी। इस तरह के अपराधों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष अदालतें बनाई गई हैं। इन अदालतों में विशेष सरकारी वकीलों को नियुक्त किया गया है और सरकार की तरफ से साझा जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

बाल संरक्षण समिति क्या कर सकती है ?

इस बात पर तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है कि किसी के बारे में जातीय पूर्वाग्रह रखना अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए समिति सामाजिक बदलाव लाने में बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है। पंचायतों/वार्ड में इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। समिति छुआछूत और जातीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित कर सकती है।



9. बिहार राज्य स्तरीय बाल संरक्षण तंत्र के गठन एवं सुदृढीकरण हेतु दिशा-निर्देश

समेकित बाल संरक्षण योजना
प्रखण्ड, पंचायत एवं वार्ड-स्तरीय

बाल संरक्षण समितियों की संरचना एवं गठन की प्रक्रिया

प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना

प्रखंड दो या दो से अधिक पंचायतों के विकास की प्रशासनिक इकाई है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंड स्तर पर सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुश्रवण में प्रखंड स्तर पर गठित पंचायत समिति अहम् भूमिका अदा करती है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन का प्रावधान है। इसकी संरचना निम्नवत है :-

क्रम संख्या	प्रस्तावित सदस्य	प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति	महिलाओं के लिए आरक्षित	पदनाम
1.	प्रमुख (पंचायत समिति अध्यक्ष)	1		अध्यक्ष
2.	प्रखंड विकास पदाधिकारी (आर.डी.ओ.)	1		सह-अध्यक्ष
3.	उप प्रमुख	1		उपाध्यक्ष
4.	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी.डी.पी.ओ.)	1		संयोजक/सदस्य-सचिव
5.	सभी जिला परिषद् सदस्य			सदस्य
6.	पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सभी अध्यक्ष (सभी ग्राम पंचायत के मुखिया)			सदस्य
7.	सभी पंचायत समिति सदस्य			सदस्य
8.	जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि	1		सदस्य
9.	पुलिस प्रतिनिधि (किशोर-सह-बाल कल्याण पदाधिकारी के पद पर नामित पुलिस पदाधिकारी) जिसे एस.जे.पी.यू. के डी.एस.पी. (मुख्यालय) के द्वारा मनोनीत किया जाएगा।	1		सदस्य
10.	प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी (बी.एम.ओ.)	1		सदस्य
11.	प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी	1		सदस्य
12.	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी (बी.इ.ओ.)	1		सदस्य
13.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	1		सदस्य
14.	बाल प्रतिनिधि (12-18 वर्ष) प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रतिनिधित्व का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह आमंत्रण चक्रीय आधार पर दिया जाएगा।)	2	1	सदस्य
15.	चाइल्डलाइन प्रतिनिधि	1		सदस्य
16.	बाल संरक्षण (मनोनयन में प्राथमिकता) या बाल शिक्षा/स्वास्थ्य/कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था/सिविल सोसायटी संगठन आदि के प्रतिनिधि	2	1	सदस्य
17.	प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति (अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
	कुल	17+जिला परिषद् सदस्य+ग्राम पंचायत के मुखियागण एवं सरपंच	2	

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना

ग्राम पंचायत त्रि-स्तरीय विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के अंतर्गत सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। पंचायत में एक या एक से अधिक राजस्व गाँव होते हैं तथा मुखिया इसके प्रमुख निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना निम्नवत है :-

क्रम संख्या	प्रस्तावित सदस्य	पंचायत बाल संरक्षण समिति	महिलाओं के लिए आरक्षित	पदनाम
1.	पंचायत के मुखिया	1		अध्यक्ष
2.	पंचायत के उप मुखिया	1		उपाध्यक्ष
3.	आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका (सी.डी.पी.ओ. द्वारा मनोनीत)	1	1	संयोजक/सदस्य-सचिव
4.	सरपंच	1		सदस्य
5.	संबंधित पंचायत के पंचायत समिति सदस्य	1 अथवा 2		
6.	सभी वार्ड सदस्य		महिला वार्ड सदस्य	सदस्य
7.	स्कूल शिक्षक (प्रखंड द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
8.	ए.एन.एम.	1	1	सदस्य
9.	विकास मित्र (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
10.	आंगनवाड़ी सेविका (आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1	1	सदस्य
11.	किशोरी समूह/सबला एवं मीना मंच/बाल संसद का प्रतिनिधित्व (12-18 वर्ष), जो इन समूहों द्वारा मनोनीत किए जाएँगे। यदि ऐसे समूह कार्यरत नहीं हों तो माध्यमिक विद्यालय/उच्च विद्यालय के प्राचार्य द्वारा मनोनीत बाल प्रतिनिधि।	3	1	सदस्य
12.	कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति) के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	2	1	सदस्य
13.	समुदाय के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	2	1	सदस्य
14.	चौकीदार (स्थानीय पुलिस थाना के किशोर-सह-बाल कल्याण पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
15.	समुदाय आधारित संगठन/स्वयंसेवी संस्था/महिला स्वयं सहायता समूह (सचिव से मंत्रणा कर अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	2	1	सदस्य
	कुल	19-20+सभी वार्ड सदस्य	7+महिला वार्ड सदस्य	

नोट : प्रखण्ड स्तरीय संरक्षण समिति, जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य पंचायत स्तरीय बाल समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। पंचायत के विभिन्न गांवों में स्थित सेवा प्रदाता निकायों की सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इन निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जैसे ए.एन.एम, आंगनवाड़ी सेविका तथा स्कूल शिक्षक को चक्रीय आधार पर समिति का सदस्य बनाया जाएगा।

वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना

ग्राम पंचायत त्रि-स्तरीय विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के अंतर्गत सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। पंचायत में दो या दो से अधिक वार्ड होते हैं तथा मुखिया इसके प्रमुख निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना निम्नवत है :-

क्रम संख्या	प्रस्तावित सदस्य	पंचायत बाल संरक्षण समिति	महिलाओं के लिए आरक्षित	पदनाम
1.	वार्ड सदस्य (पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	1		अध्यक्ष
2.	पंच	1		उपाध्यक्ष
3.	आंगनवाड़ी सेविका (आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		संयोजक/ सदस्य-सचिव
4.	स्कूल शिक्षक (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
5.	टोला सेवक (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
6.	आशा कार्यकर्ता	1		सदस्य
7.	किशोरी समूह/सबला एवं मीना मंच/बाल संसद का प्रतिनिधित्व (12-18 वर्ष), जो इन समूहों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यदि ऐसे समूह कार्यरत नहीं हों तो हर वार्ड में माध्यमिक या उच्च वि० नहीं हैं। वार्ड में प्राथमिक एवं मध्य वि० होते हैं। वह भी हर वार्ड में नहीं।	2	1	सदस्य
8.	स्कूल प्रबंधन समिति से माता/पिता (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		
9.	वंचित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति) के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	2	1	सदस्य
10.	समुदाय आधारित संगठन/स्वयंसेवी संस्था/महिला स्वयं सहायता समूह (सचिव से मंत्रणा कर अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत) के प्रतिनिधि।	2	1	सदस्य
11.	समुदाय के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति (अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
12.	चौकीदार (स्थानीय पुलिस थाना के किशोर-सह-बाल कल्याण पदाधिकारी द्वारा दो वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर मनोनीत)	1		सदस्य
	कुल	15	6	

नोट : जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्य एवं चाईल्ड लाईन के प्रतिनिधि के वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठकों में विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। वार्ड में स्थित सेवा प्रदाता निकायों, जिनकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती हैं, का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय शिक्षक, समुदाय आधारित संगठन/स्वयं सहायता समूह के सदस्य आदि को चक्रीय आधार पर समिति का सदस्य बनाया जाएगा।

प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया

1. जिला पदाधिकारी, जो जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रशासकीय प्रमुख और जिला बाल संरक्षण समिति के सह-अध्यक्ष होते हैं। वे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंडों में दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन एवं सदस्यों के मनोनयन के लिए पत्र जारी करेंगे। ऐसी समितियों के गठन एवं बाल संरक्षण के मामले में उनकी अहमियत की जानकारी देने के लिए पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा अन्य को भी भेजी जाएगी।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई गठन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपनी ओर से भी जिलापदाधिकारी द्वारा जारी पत्र की प्रति के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को फॉलो-अप पत्र भेजेगी। यदि संभव हो तो जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कामकाजों की जानकारी देने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं पंचायत-समिति के अध्यक्षों के साथ अलग-अलग बैठक करेगी।
3. प्रखण्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन के संबंध में जिलापदाधिकारी द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. अधिसूचना जारी होने के दो माह के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की पहली बैठक आयोजित करने तथा समिति की सूची के साथ-साथ बैठक की कार्यवाही का विवरण मांगने के लिए सीडीपीओ प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र लिखेगा।
6. प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की पहली बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि सामान्य रूप से बाल संरक्षण एवं विशेष रूप से समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) के उद्देश्यों व कार्यों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। बैठक में सदस्यों को प्रखंड से जुड़े बाल संरक्षण के सवालों की ओर उन्मुख भी किया जाएगा और बताया जाएगा कि प्रखंड के बच्चों के संरक्षण के ढांचे को मजबूत करने में प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति किस तरह अहम् भूमिका अदा कर सकती है।
7. जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखण्डवार बाल संरक्षण समिति के सभी सदस्यों के नामों एवं संपर्क विवरणों को अपलोड करेगी।
8. इस्तीफा, आयोग्य करार दिए जाने अथवा किसी सदस्य के निधन के कारण कोई रिक्ति होने की स्थिति में संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा ऐसी रिक्तियों को भरा जाएगा।

पंचायत एवं वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया

1. जिला बाल संरक्षण इकाई, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों एवं पंचायत के अधीन आने वाले सभी वार्डों में पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का मनोनयन, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार करने एवं समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र निर्गत करेगा। इस पत्र की एक प्रति राज्य बाल संरक्षण समिति को भी भेजी जाएगी।
2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य-सचिव हैं, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की मुखिया को दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित पंचायतों एवं वार्डों में पंचायत स्तरीय एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र निर्गत करेंगे। विशेष तौर पर समिति के सदस्यों का मनोनयन करने का अनुरोध करते हुए इस पत्र की प्रति प्रखंड में संबंधित नॉडल पदाधिकारी को भी भेजी जाएगी।
3. पंचायत प्रमुखों को पत्र एवं दिशा-निर्देश भेजने के साथ ही प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति (या जिन प्रखंडों में प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई) दिशा-निर्देश के अनुसार समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए उत्तरदायी सभी पंचायत प्रमुखों एवं प्रखंड के अन्य सम्बद्ध पदाधिकारियों के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया, समिति के कार्य तथा सदस्यों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में प्रखंडस्तरीय उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्मुखीकरण की प्रक्रिया में बाल संरक्षण समिति गठित करने, सामाजिक मुद्दों या बच्चों से जुड़े सवालों पर सामुदायिक गतिशीलता (Community Mobilisation) का अनुभव रखने वाले जिले या प्रखंड के स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी ली जा सकती है।
4. बाल संरक्षण समिति के गठन के पूर्व पंचायत के मुखिया बाल संरक्षण समिति के गठन, उसके कामकाज और समिति किस तरह बच्चों की जिंदगी में सार्थक भूमिका अदा करेगी, इसकी जानकारी देने के लिए अपने पंचायत में प्रस्तावित संगठनों की मदद भी ली जा सकती है।
5. पत्र/अधिसूचना जारी होने के एक माह के अंदर पंचायत के मुखिया दिशा-निर्देशों के अनुसार समिति का गठन करेंगे। वे बाल संरक्षण समिति के गठन की सूचना एवं समिति के सदस्यों के नाम एवं संपर्क के विवरण की जानकारी प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को देंगे।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंडवार बाल संरक्षण समिति के सभी सदस्यों के नामों एवं संपर्क विवरणों को संबंधित जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
7. किसी सदस्य के इस्तीफा, आयोग्य करार दिए जाने अथवा आकस्मिक निधन के कारण कोई रिक्ति होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा ऐसी रिक्तियों को भरा जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला पदाधिकारी के माध्यम से नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र द्वारा संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन हेतु अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया जायेगा।
2. नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से समिति के गठन एवं सदस्यों की भूमिका से संबंधित दिशा-निर्देशों एवं अधिसूचना को संलग्न कर वार्ड के सभी निर्वाचित पार्षदों को अनुरोध पत्र जारी किया जायेगा। इस पत्र की एक प्रति मेयर को एवं दूसरी प्रति जिले में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारी को समिति के सदस्यों के मनोनयन हेतु भेजी जायेगी।
3. बाल संरक्षण समिति के गठन के पूर्व जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सभी वार्ड सदस्यों एवं संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारियों, शहरी क्षेत्र में कार्यरत एवं बच्चों के मुद्दों पर कार्य करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
4. अधिसूचना जारी होने के एक माह के अंदर वार्ड पार्षदों द्वारा अपने-अपने वार्ड में दिशा-निर्देशों के अनुसार बाल संरक्षण समिति का गठन किया जायेगा। वे बाल संरक्षण समिति के गठन की सूचना एवं समिति के सदस्यों के नाम एवं संपर्क के विवरण की जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई को देंगे।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन से संबंधित दिशा-निर्देश समिति के कार्य, अध्यक्ष एवं सदस्यों की भूमिकाएँ, नाम एवं संपर्क विवरणी का जिला एवं नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
6. किसी सदस्य के इस्तीफा, आयोग्य करार दिए जाने अथवा आकस्मिक निधन के कारण कोई रिक्ति होने की स्थिति में किसी सदस्य के संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा ऐसी रिक्तियों को भरा जाएगा।



बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष/सदस्य की अयोग्यता का आधार एवं उनके कार्य

बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की अयोग्यता का आधार

(क) किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य चुने जाने के योग्य नहीं माना नहीं माना जाएगा, यदि वह:-

- (i) किसी कानून के अधीन दोष सिद्ध किया गया हो;
- (ii) कभी भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या बाल मजदूरी, या किसी अन्य मानवाधिकारों के हनन अथवा अनैतिक कार्य जैसे मामलों में स्वयं लिप्त रहा हो या इसके लिए उकसाया हो।

(ख) बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को निम्न आधार पर अयोग्य करार दिया जाएगा:

- (i) यदि यह पाया गया कि उन्होंने किसी बच्चे को काम पर रखा है।
- (ii) यदि उनके द्वारा किसी बच्चे का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक शोषण किए जाने की सूचना होगी या उनके द्वारा ऐसे व्यवहार को उकसाने की सूचना होगी और यदि जांच में आरोप प्रथम दृष्टी में सही साबित पाया गया हो।

(iii) यदि सदस्य विक्षिप्तता या मानसिक अस्वस्थता के कारण अपना काम निष्पादित करने में सक्षम नहीं हो।

समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध गंभीर आरोप या शिकायत होने की स्थिति में उसके खिलाफ जांच पूरी होने तक वे बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। जांचोपरांत निष्कर्ष के आधार पर यदि आवश्यक हो तो उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। जांच के लिए बाल संरक्षण समिति अपने सदस्यों के बीच से एक पांच सदस्यीय उप-समिति का गठन करेगी जो एक माह के अंदर जांच पूरी कर बाल संरक्षण समिति को अपनी रिपोर्ट देगी। जांच समिति संबंधित सदस्य को अपनेपर लगे आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराएगी। जांच के निष्कर्ष पर विचार करने के लिए बाल संरक्षण समिति अपनी आपात बैठक करेगी और तदनुसार आवश्यक निर्णय लेगी। बाल संरक्षण समिति इस काम में जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद भी ले सकती है।

बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्य

1. अध्यक्ष

- बाल संरक्षण समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
- बराबरी (टाई) की स्थिति में निर्णायक मत देना।
- सचिव की अनुपस्थिति में उनका कार्य करना।
- सुनिश्चित करना कि सभी रिपोर्ट उनके हस्ताक्षर के साथ समय पर भेज दी जाए।
- सुनिश्चित करना कि बाल प्रतिनिधियों को पूरी आजादी एवं आत्म-विश्वास के साथ अपनी बात रखने का

मौका मिले (बाल संरक्षण समिति के बाकी सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का भी बाल प्रतिनिधियों के प्रति यह दायित्व है।)

2. उपाध्यक्ष

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को संपादित करना।

3. सचिव / संयोजक

- आवधिक बैठकें आहूत करना।
- बैठक के पहले बैठक की कार्यसूची के साथ बैठक की सूचना, पत्र द्वारा या अन्य माध्यमों से सभी सदस्यों को भेजना।
- बैठक की कार्यवाही को लिखना एवं सदस्यों की उपस्थिति को रिकॉर्ड करना।
- संबंधित अधिकारियों को बाल संरक्षण समिति की ओर से अध्यक्ष के माध्यम से पत्र, रिपोर्ट आदि भेजना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला बाल संरक्षण समिति से प्राप्त प्रत्येक सूचना से बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को अवगत कराना।
- अगर कोई सदस्य बैठक में लगातार अनुपस्थित रह रहा हो तो उसे नोटिस भेजना तथा अन्य सदस्यों को ऐसी अनुपस्थिति की जानकारी देना।

4. बाल प्रतिनिधि

- बाल संरक्षण समिति की बैठक के पहले पंचायत/गांव के बाल संरक्षण के संभावित मुद्दों/कार्यसूची के बारे में अन्य बच्चों के साथ बैठक करना।
- बैठक में भाग लेना एवं पंचायत या गांव के बच्चों के लिए बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाना।
- वे किसी ऐसे व्यक्तिगत मामलों को भी रख सकते हैं, जिस पर उन्हें बाल संरक्षण समिति के हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हो रही हो।



बाल संरक्षण समितियों के कार्य एवं बैठक से संबंधित प्रक्रिया

प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य

- प्रखण्ड स्तर पर सजग प्रहरी के तौर पर काम करना तथा बाल संरक्षण सेवाओं का अनुश्रवण करना।
- 'देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे' एवं 'विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे' की श्रेणी में आने वाले बच्चों की स्थिति पर प्रखंड की जरूरत का आकलन रिपोर्ट तैयार करना। इस संबंध में आंकड़ा विहित प्रारूप में एकत्र किया जाना चाहिए।
- बच्चों के खिलाफ भेदभाव, दुर्व्यहार, हिंसा, दमन के मामलों की एक निश्चित समयावधि में जांच करना तथा जांच निष्कर्षों की रिपोर्ट एवं अनुशासक संबंधित अधिकारियों को सौंपने के साथ इसकी एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी देना।
- आवश्यकता आकलन रिपोर्ट तैयार करने में पंचायत-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि पंचायत एवं वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समितियां अपनी बैठक नियमित रूप से करें एवं अपनी रिपोर्ट को सुझावों/कार्य के बिन्दुओं के साथ प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के साथ साझा करें।
- ऐसे मामलों में दखल देना, जहां समिति को लगे पंचायत या वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा उठाए गए किसी मामले में सेवा उपलब्ध कराने को लेकर सेवा प्रदाता निकायों जैसे पुलिस थाना, शिक्षा कार्यालय, पी०एच०सी० या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं की गयी हैं।
- प्रखंड में परवरिश योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना तथा अगर कोई बाधा हो तो उसे दूर करना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से पंचायत या वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के सदस्यों के लिए क्षमता सृजन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

पंचायत-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य

बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं यथोचित पोषण के प्रति बाल अधिकारों की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहुँच गांवों में रह रहे सभी बच्चों तक है। सरकार यह काम सेवा प्रदान करने वाले निकायों जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्रों, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए करती है। बच्चों को ए०एन०एम०/आशा कार्यकर्ताओं, स्कूल शिक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए इन केंद्रों की सेवाएं मिलती हैं। बच्चे के समग्र विकास के लिए किसी भी रूप में हिंसा, शोषण एवं दुर्व्यवहार इत्यादि से बच्चों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण। ये मुद्दे पारस्परिक रूप से जुड़े हैं और इन्हें अलग-अलग कर नहीं देखा जा सकता। परन्तु बाल संरक्षण के क्षेत्र में पंचायत-स्तर पर मुख्य रूप से जिम्मेदार किसी सेवा प्रदाता संस्था या किसी विशेष कर्मचारी/प्रतिनिधि के नहीं होने से संरक्षण के सवालों एवं संबंधित सेवाओं की उपेक्षा हो जाती है। इसलिए बाल संरक्षण के मुद्दों से निपटने एवं विकट स्थिति में फंसे बच्चे या दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण के शिकार बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना अथवा दूसरे शब्दों

में बच्चों के संरक्षण अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति को ही करना होगा। इस तरह बाल संरक्षण समिति पंचायत में एक बाल-अनुकूल माहौल तैयार करने में बहुआयामी भूमिका निभा सकती है, ताकि बच्चों को उनके अधिकारों की गारंटी हो तथा उनके उल्लंघन की स्थिति में उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की अपेक्षित भूमिका एवं कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है। यह अपेक्षित कार्यों की महज एक प्रस्तावित सूची है, न कि समग्र व विस्तारित सूची। बच्चों के सर्वोत्तम हित में ऐसा कोई भी कार्य जो सुनिश्चित करता हो कि उसके कार्यान्वयन से बाल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उसे करने को बाल संरक्षण समिति स्वतंत्र है:

- पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण के सजग प्रहरी के तौर पर काम करना तथा बाल संरक्षण संबंधी सेवाओं का अनुश्रवण करना।
- संबंधित पंचायत में बाल संरक्षण की स्थिति में सुधार के उपायों की अनुशंसा करना।
- समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों तथा बाल विवाह, बाल श्रम, बाल व्यापार, बालिका भ्रूण हत्या आदि से संबंधित बाल संरक्षण कानूनों के समुचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रणनीति बनाना।
- बच्चों के हित के लिए समुदाय आधारित संसाधनों को सुदृढ़ करना।
- बाल संरक्षण को लक्ष्य में रखकर गांव या समुदाय आधारित योजना को स्वयं या किसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन या जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद से तैयार करना।
- विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों एवं उन परिवारों की पहचान करना तथा इसे जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ साझा कर ऐसे बच्चों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं (जैसे परवरिश) के अंतर्गत सहायता के लिए प्रयास करना।
- पंचायत के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर बच्चों की पहुँच के अन्दर शिकायत-सह-सुझाव पेटी रखना तथा इन पेटियों से मिली शिकायतों/सुझावों पर बैठक में विचार करना।
- आवश्यक जानकारीयाँ उपलब्ध कर जिला आवश्यकता आकलन (District Need Assessment) एवं स्थितियों के विश्लेषण में जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद करना।
- पंचायत स्तरीय संसाधन निर्देशिका तैयार करना।
- बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर टोलों एवं गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- स्थानीय पुलिस थाना के साथ बैठक करना तथा पुलिस को गुमशुदा बच्चों, बाल विवाह की घटनाओं या बंधुआ मजदूरी, किसी बाल व्यापारी की संदिग्ध आवाजाही या बच्चे की सुरक्षा के लिए खतरनाक किसी व्यक्ति के बारे में या बाल दुर्व्यवहार या हिंसा की घटनाओं की जानकारी देना।
- बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं बाल संरक्षण अधिकारों के लिए नुकसानदेह परस्पर विरोधी सामाजिक रीति-रिवाजों या नियमों के बीच मध्यस्थता करना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई तथा जिला स्तर के दूसरे नोडल विभागों के जिला स्तरीय निकायों के साथ नेटवर्क एवं संबंध स्थापित करना।

- वार्डों एवं पंचायतों में जहाँ और जब जरूरी हो कार्यक्रमों के आयोजन अथवा योजना के कार्यान्वयन में जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों को मदद उपलब्ध कराना ।
- प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति या जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आहूत बैठकों में भाग लेना।
- वार्ड से बच्चों के पलायन करने, विशेषकर अकेले जाने का रिकार्ड रखने में पंचायत की मदद करना ।
- वार्ड/पंचायत को बच्चों के लिए मित्रवत गांव/पंचायत बनाने की दिशा में काम करना ।

वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के कार्य

- वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण के सजग प्रहरी के तौर पर काम करना तथा बाल संरक्षण सेवाओं का अनुश्रवण करना।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (2006 के संशोधन सहित) के तहत देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की स्थिति पर गांव की जरूरतों का आकलन रिपोर्ट तैयार करना।
- सर्वाधिक बदहाल स्थिति वाले बच्चों की पहचान तथा वार्ड में बच्चों के लिए मौजूद सेवाओं का खाका बनाना या मैपिंग करना।
- बाल संरक्षण से जुड़े विषयों पर कार्रवाई हेतु मौजूदा तंत्र एवं सेवाओं आदि के सवालों पर समुदाय, माता-पिता एवं बच्चों के लिए समय-समय पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों एवं माता-पिता को सशक्त बनाना ताकि वे किसी भी हिंसा, दुर्व्यवहार या समाज में व्याप्त किसी नुकसानदेह सांस्कृतिक प्रचलनों के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें ।
- बाल विवाह, बाल व्यापार, बाल मजदूरी, बगैर किसी परिजन के साथ बच्चों का गांव से पलायन के खिलाफ सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना।
- अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को प्रोत्साहित करना ।
- वार्ड बाल संरक्षण समिति में विचार किए गए सवालों की आवधिक रिपोर्ट पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति को देना तथा जो कोई सवाल उसे महत्वपूर्ण मालूम होता हो या जिस सवाल पर उसे पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति के हस्तक्षेप की जरूरत महसूस होती हो उसकी ओर पंचायतस्तरीय समिति का ध्यान आकृष्ट करना।
- वार्ड बाल संरक्षण योजना तैयार करना एवं उसे जिला बाल संरक्षण इकाई को सौंपना।
- स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों, मजदूरी में लगे बच्चों, मजदूरी के लिए गांव से बाहर चले गए बच्चों की संख्या गुमशुदा बच्चों आदि का रिकार्ड विहित प्रारूप में रखना ।
- लिंग आधारित गर्भपात, बाल विवाह, लड़कियों के साथ भेदभाव, परिवार एवं स्कूल में शारीरिक दंड/प्रताड़ना आदि जैसे नुकसानदेह प्रचलनों को रोकना तथा निरुत्साहित करना।
- जन्म पंजीकरण, आधार कार्ड पंजीकरण, स्कूल में दाखिला, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का दाखिला, बच्चों खासकर बालिकाओं को स्कूल भेजने आदि जैसे अच्छे प्रचलनों को बढ़ावा देना।
- बच्चे को फिर से परिवार के साथ जोड़े जाने वाले मामलों में आगे की कार्रवाई (Follow up) में जिला बाल संरक्षण इकाई या पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति की मदद करना।

- बच्चों को गांव में विद्यमान विभिन्न मंचों पर अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध कराकर निर्णय प्रक्रिया में बच्चों को शामिल कराना ताकि गांव में बच्चों की भागीदारी मजबूत बने ।
- बच्चों एवं बाल संरक्षण के हित वाले कार्यों को करना।
- पंचायत/प्रखंडस्तरीय बाल संरक्षण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समय-समय पर दिए गए कार्यों को करना।

बाल संरक्षण समिति द्वारा बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया

1. **बाल संरक्षण समिति की बैठकों के लिए कोरम :** बैठक में बाल संरक्षण समिति के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
 2. **बैठक स्थल :** पंचायत-स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठकें पंचायत भवन के कार्यालय में आयोजित होंगी या फिर अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाली किसी अन्य जगह पर होगी। बाल संरक्षण समिति का कार्यालय पंचायत भवन में रहेगा। वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति के मामले में बैठकें गांव के स्कूल या आंगनवाड़ी केन्द्र में सामान्य कामकाज के बाद की अवधि में होगी। प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति अपनी बैठक पंचायत समिति भवन या प्रखंड मुख्यालय में उपयुक्त समझे जाने वाले किसी जगह पर आयोजित करेगी।
 3. **बाल संरक्षण समिति की बैठकों की प्रक्रिया :**
 - 3.1 प्रखण्ड/स्तरीय बाल संरक्षण समिति तिमाही बैठक करेगी अर्थात् हर तीन महीने के बाद अथवा बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष जब कभी उपयुक्त समझेंगे। परन्तु यह स्पष्ट हो कि दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन महीने से अधिक का नहीं होगा। उपयुक्त समझे जाने पर अध्यक्ष समिति की आपात बैठक भी बुला सकते हैं।
पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा मासिक बैठक बुलायी जायेगी अथवा बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष जब कभी उपयुक्त समझेंगे। परन्तु यह स्पष्ट हो कि दो बैठकों के बीच का अंतराल तीस दिनों से अधिक का नहीं होगा। उपयुक्त समझे जाने पर अध्यक्ष समिति की आपात बैठक भी बुला सकते हैं।
 - 3.2 बैठक की अध्यक्षता बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष करेंगे/करेंगी। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे/करेंगी।
 - 3.3 बैठक की कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज की जाएगी और बैठक में उपस्थित सभी सदस्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे।
 - 3.4 बैठक की कार्यवाही को बैठक समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र या दूसरी बैठक के पहले, सदस्यों की स्वीकृति और पुष्टि के लिए बैठक में उपस्थित सदस्यों के सामने रखा जाएगा।
- सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाने की कोशिश की जाएगी। किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में बाल संरक्षण समिति बहुमत के आधार पर निर्णय लेगी। अगर दो अलग-अलग तरह की राय या दृष्टिकोण के समर्थन में बराबर-बराबर सदस्य रहेंगे तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। निर्णय बैठक में अनुपस्थित सदस्यों के लिए भी बाध्यकारी होगा।



विविध

अनुश्रवण की क्रियाविधि

1. जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड-स्तर की बाल संरक्षण समितियों द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने के लिए मानक प्रारूप तैयार करेगा।
2. वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति इस प्रारूप को भरकर पंचायत-स्तरीय समिति को और पंचायत-स्तरीय समिति प्रखंड/स्तरीय बाल संरक्षण समिति को रिपोर्ट देगी। नगरों की वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति विहित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार कर जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी। इस रिपोर्ट की एक प्रति निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी सूचनार्थ भेजी जायेगी।
3. प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति हर तिमाही पर अपनी रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण समिति को भेजेगी।
4. संवेदीकरण कार्यक्रमों के बारे में बात करने एवं कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई गांवों, प्रखंडों एवं वार्डों का दौरा करेगी।
5. बच्चों के साथ दुर्व्यहार/हिंसा/शोषण के किसी मामले की जांच के लिए प्राधिकार के सदस्य भी जिला बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों के साथ जा सकते हैं।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रखंड-स्तरीय बाल संरक्षण समिति, पंचायत एवं वार्ड-स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के सदस्यों के नाम एवं उनके संपर्क विवरण का रिकार्ड रखा जायेगा। इन विवरणों को जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाएगा।
7. किन क्षेत्रों में काम करना है और कौन सी कार्रवाई करनी है, इसकी पहचान के लिए बाल संरक्षण समितियों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाएगा और जरूरत हुई तो उपयुक्त अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं के पास मामले को रेफर किया जाएगा।

सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन

बाल संरक्षण समितियों का एक बार गठन हो जाने के बाद अधिकार से जुड़े मुद्दों, बाल संरक्षण समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में प्रशिक्षण/संवेदीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण समिति स्वयं या स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से क्षमता सृजन के कार्यक्रम आयोजित करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई इन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण कार्यक्रमों को अपने प्रशिक्षण कैलेंडर एवं वार्षिक बाल संरक्षण योजना में शामिल करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को जानकारीयों से अवगत कराने के लिए बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम

कर रही संस्थाओं एवं विषम परिस्थिति में रह रहे बच्चों को सहायता पहुँचाने वाली संस्थाओं के पास ले जाने पर भी विचार कर सकती है। साथ ही पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित जिला-स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। प्रशिक्षण/संवेदीकरण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कुछ प्रस्तावित विषय निम्नलिखित हैं :-

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एवं भारत का संविधान;
- विषम परिस्थिति में रह रहे बच्चों की पहचान की पद्धति;
- पंचायत/गांवों में मौजूद संसाधनों एवं असुरक्षा का प्रतिचित्रण (मैपिंग);
- बाल संरक्षण की सुनिश्चितता हेतु योजना तैयार करना;
- रेफरल व्यवस्था एवं सेवा प्रदाताओं से संबंधित जानकारी;
- परवरिश, प्रायोजन एवं दत्तकग्रहण इत्यादि जैसी सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम;
- सदस्यों हेतु आचार संहिता आदि।

पारितोषिक एवं सम्मान

जिला बाल संरक्षण इकाई प्रखंड, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए कम से कम दो इकाईयों का चयन निर्धारित सूचकों/मानकों के आधार पर पुरस्कृत करने के लिए करेगी। पुरस्कार के रूप में इकाई द्वारा समितियों को सामग्रियां एवं उपस्कर (logistics) प्रदान की जा सकती है, ताकि इन समितियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन आगे और बेहतर तरीके से करने में मदद हो। पुरस्कार के लिए चयन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा।

सदस्यों हेतु आचार संहिता

सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी सूची निम्नवत है:

करणीय	अकरणीय
क. बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें एवं उनका सम्मान करें, उन्हें सशक्त बनाएँ, और यथासंभव उन्हें योजना एवं सेवा प्रदान करने के कामों में सहभागी बनाएं।	क. किसी बच्चे पर प्रहार या किसी तरह का शारीरिक दुर्व्यवहार या हमला नहीं करें।
ख. समस्या पैदा करने वाली स्थितियों से अवगत हों एवं उनका निदान करें।	ख. किसी बच्चे के साथ शारीरिक/यौन संबंध नहीं बनाएं।
	ग. बच्चे के साथ ऐसे संबंध नहीं बनायें जो शोषणकारी या अपमानजनक हो।

<p>ग. सुनिश्चित करें कि सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व का भाव हो ताकि गलत प्रचलन या संभावित दुर्व्यहार जब कभी भी हो तो सदस्य उसका अवश्य विरोध करें।</p> <p>घ. बच्चों से उनकी राय के महत्व के बारे में बात करें एवं अपनी बातें खुलकर रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें।</p> <p>ङ. बच्चों को सशक्त बनाएं- उनके अधिकारों, क्या स्वीकार्य हैं, क्या अस्वीकार्य है, और समस्या आने पर वे क्या कर सकते हैं, इस बारे में उनसे बात करें।</p> <p>च. बच्चों या बाल संरक्षण समिति के दूसरे सदस्यों द्वारा उठाए गए हर सवाल को गंभीरता से लें।</p> <p>छ. दुर्व्यवहार या असुरक्षा के जोखिम वाले बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं।</p> <p>ज. बच्चों से संबंधित सभी कामों एवं निर्णयों में उनके सर्वोत्तम हित का ख्याल रखें।</p> <p>झ. बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता/देख-भाल करने वालों और/या दूसरे पेशेवर लोगों के साथ मिलकर काम करें।</p>	<p>घ. ऐसा व्यवहार नहीं करें जिससे बच्चा किसी भी रूप में प्रताड़ित हो या प्रताड़ना/शोषण का शिकार होने की संभावना हो।</p> <p>ङ. गैरवाजिब, आघात पहुंचाने वाले या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करें या ऐसी सलाह नहीं दें।</p> <p>च. अनुपयुक्त या कामोत्तेजक तरीके से शारीरिक रूप से पेश नहीं आएंगे।</p> <p>छ. बच्चों द्वारा किये गये ऐसे व्यवहार जो गैर कानूनी असुरक्षित या दुर्व्यवहारपूर्ण हो, उनकी ना ही अनदेखी करें और ना ही उनमें शामिल हो।</p> <p>ज. बेइज्जत, नीचा दिखाने या अनादर करने या किसी रूप में भावनात्मक दुर्व्यवहार करने वाला आचरण नहीं करें।</p> <p>झ. किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से पृथक करने वाला भेदभावपूर्ण अथवा विभेदकारी बर्ताव नहीं करें।</p> <p>ञ. लिंग आधारित गर्भपात, बाल विवाह, शारीरिक दंड जैसे कृत्यों में ना ही हिस्सा लें ना बढ़ावा दें।</p> <p>ट. बच्चों से मजदूरी नहीं कराए।</p>
--	--



“बच्चे बाग के कलियों की तरह हैं जिनका प्रेम पूर्वक देखभाल किया जाना चाहिए, इसलिए कि वे राष्ट्र के भविष्य और कल के नागरिक हैं”।

 जवाहरलाल नेहरू

